[2019] 16 एस. सी. आर. 886

श्रीमानंद बालासाहेब पाटिल

वी.

माननीय वक्ता, कर्नाटक

विधिसम्मत आकलन और अन्य

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 992)

नवंबर 13,2019

[एन. वी. रमना, संजीव खन्ना

और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची; कला। 190 (3) (ख),

191 (1) , 191 (2) - सभापति द्वारा सदन के सदस्यों के इस्तीफे की स्वीकृति/अस्वीकृति-न्यायिक समीक्षा का दायरा

यू/आट्र्स। 32 - रिट याचिकाकर्ताओं को 15 वीं कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों के रूप में चुना गया-हालांकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी-आई. एन. सी. और जे. डी. (एस.) की गठबंधन सरकार का गठन किया गया-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 2019 की अयोग्यता याचिका संख्या 1 को डब्ल्यू. पी. में स्थापित किया गया था। (ग) नहीं. 997/19 यह आरोप लगाते हुए कि उनका आचरण कांग्रेस द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन था-कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए-अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए।

- इस्तीफों पर अध्यक्ष द्वारा कोई आह्वान नहीं किया गया-उनमें से अधिकांश

डब्ल्यू. पी. दाखिल किया। (ग) सं. 872/19 जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्ष को इस्तीफों पर तुरंत निर्णय लेने का निर्देश दिया-इस्तीफों पर अध्यक्ष द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

इसके अलावा,

अयोग्यता याचिका Nos.3-5 13 याचिकाकर्ताओं (W. P. (C) संख्या 1005/19 में तीन और W. P. (C) संख्या में 10 के खिलाफ दायर की गई थी। 998/19 , 1000/19 , 1001/19 , 1006/19 & 1007/19) - अयोग्यता याचिका सं। 7 & 8 2019 का भी दाखिल किया गया-मुख्यमंत्री ने 23.07.2019 पर 25.07.2019 पर विश्वास मत हारने पर इस्तीफा दे दिया और

28.07.2019 , अध्यक्ष ने उपरोक्त अयोग्यता याचिकाओं में पांच विवादित आदेश पारित किए, जिसमें सदस्यों के इस्तीफे को खारिज करते हुए कहा गया कि वे स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं थे; सभी याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराते हुए, अयोग्यता 15 वीं विधानसभा के कार्यकाल के अंत तक थी-

आयोजितः अध्यक्ष, अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेते समय, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है-हालांकि, आम तौर पर, अयोग्यता को चुनौती देने वाले पक्ष को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक है क्योंकि

वही उचित, प्रभावी और त्वरित होगा-विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा दिए गए इस्तीफे की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष की जांच का दायरा इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या ऐसा इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया था या वास्तव में-एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्तीफा देने को तैयार है, तो अध्यक्ष के पास इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है-वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष और इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा और फिर से पुष्टि की कि उन्होंने स्वेच्छा से और वास्तव में अपना इस्तीफा दे दिया है।

सदन की सदस्यता-इस्तीफे पर विचार करते समय किसी भी बाहरी कारक को ध्यान में रखना अध्यक्ष के लिए संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है-अध्यक्ष की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है-इसके अलावा, मौजूदा संवैधानिक जनादेश के आलोक में, अध्यक्ष को कार्यकाल के अंत तक किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है-साथ ही, वर्तमान मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद नहीं है, जिसे एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है-याचिकाकर्ता अध्यक्ष के दिनांकित आदेशों में कोई अवैधता दिखाने में विफल रहे। 25.07.2019 और 28.07.2019 अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया अयोग्यता याचिका सं। 1 , 3-5 , 7 & 8 2019 की, याचिकाकर्ताओं की अयोग्यता की सीमा तक बरकरार रखी जाती है,

हालाँकि, अवधि का विवरण देने वाले आदेशों का हिस्सा

भारत का संविधान-संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974-Art.190 (3) (b) के प्रावधान-उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि इस्तीफे की स्वीकृति/अस्वीकृति व्यक्तिपरक पर आधारित है अध्यक्ष की संतुष्टि जो न्यायिक समीक्षा से मुक्त है-आयोजितः इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ-यह सच है कि 33 वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक स्थिति को बदल दिया

इस्तीफे को अस्वीकार करने के लिए अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्रदान करना हालाँकि, ऐसा विवेकाधिकार अयोग्य नहीं है, क्योंकि इस्तीफा [2019] 16 एस. सी. आर. हो सकता है।

केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब अध्यक्ष को इस बात का संतोष हो कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है-यह निर्धारण कि क्या त्यागपत्र "स्वैच्छिक" या "वास्तविक" थे, अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष बयान पर आधारित नहीं हो सकता है, इसके बजाय यह उनकी "संतुष्टि" पर आधारित होना चाहिए-भले ही संतुष्टि व्यक्तिपरक हो, लेकिन इसमें कहा गया है -

वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होना जो दर्शाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है-अध्यक्ष की यह संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

भारत का संविधान-कला। 190 (3) (ख)-अध्यक्ष का कर्तव्य

का दायरा-चर्चा की गई।

भारत का संविधान-संविधान (91 वां संशोधन) अधिनियम, 2003 कला। 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी-विभिन्न

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गईं जिनमें अध्यक्ष ने विवादित आदेश पारित किए-हालाँकि, 17 याचिकाकर्ताओं में से 15 ने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से पहले सदन से अपना इस्तीफा दे दिया था-याचिकाकर्ता

उन्होंने तर्क दिया कि अध्यक्ष के पास अयोग्यता याचिकाओं से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के इस्तीफा देने के बाद अब ऐसे सदस्य नहीं थे जिन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता था-आयोजितः यह मुद्दा डब्ल्यू. पी. में शिक्षाविदों पर लागू नहीं होता है। (ग) सं. 992/19 और डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं. 1003/19 क्योंकि उन्होंने अपनी निविदा नहीं दी थी।

त्यागपत्र-इसके अलावा, यदि यह माना जाता है कि त्यागपत्र देने पर अयोग्यता की कार्यवाही निष्फल हो जाएगी, तो कोई भी सदस्य जो अयोग्य होने के कगार पर है, तुरंत इस्तीफा दे देगा और यू/आर्ट्स द्वारा प्रदान किए गए प्रतिबंधों से बच जाएगा। 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी-इसलिए इस तरह की व्याख्या न केवल इसकी शुरुआत के पीछे के इरादे के खिलाफ होगी।

दसवीं अनुसूची, लेकिन 91 वें संवैधानिक संशोधन की भावना को भी विफल करती है-इसके अलावा, अध्यक्ष का निर्णय कि एक सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है, संविधान (पचास-दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985-दसवीं अनुसूची की शिकायत की गई अयोग्य कार्रवाई की तारीख से संबंधित है। भारत का संविधान-कला। 102 (2) , 164 (1 बी), 168,172,190 (3), 191 (1), (2), 192,361 (बी)-राज्य विधानमंडलों के संबंध में संविधान की योजना-पर चर्चा की गई।

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची; कला। 190 (3) (ख), 191-अयोग्यता पर अध्यक्ष की शक्ति का दायरा-चर्चा की गई।

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

भारत का संविधान-कला। 191 (1) और (2)-में विरोधाभास

कलाओं के बीच वाक्यांश विज्ञान। 191 (1) और 191 (2)-आयोजितः Art.191 (2) में "चुने जाने के लिए" वाक्यांश को शामिल न करने से पता चलता है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता गुणात्मक है।

और संवैधानिक रूप से अन्य प्रकारों से अलग

अयोग्यता जो यू/आर्ट के लिए प्रदान की जाती है। 191 (1) - वाक्यांश "के रूप में चुने जाने के लिए" का एक विशिष्ट अर्थ है, जिसका अर्थ है कि

व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं बन सकता है, यदि यू/Art.191 (1) के तहत अयोग्यता से पीड़ित है-साथ ही, Art.191 (2) में इन शब्दों की अनुपस्थिति से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो अब दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के कारण सदस्य नहीं है, वह अनुमति नहीं दिए जाने की अतिरिक्त दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

बाद में सदस्य बनें-इसलिए, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस. एस. 7-11 , 36 (2) – संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003-कला। 164 (1 बी) और 361 बी।

भारत का संविधान-दसवीं अनुसूची-त्यागपत्र और

उक्त अनुसूची के तहत दलबदल के कारण अयोग्यता

- आयोजित किया गयाः दोनों के परिणामस्वरूप विधायिका में सदस्य द्वारा आयोजित सीट खाली हो जाती है, लेकिन आगे के परिणाम अलग-अलग होते हैं।

भारत का संविधान-दसवें के तहत अयोग्यता

अनुसूची-कला के तहत प्रतिबंध। 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी

-

आयोजित किया गयाः अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति तक किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है, हालांकि, दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्य को अनुशास्तियों के अधीन रखा जाएगा। 75 (1 ख), 164 (1 ख) और 361 ख जिसमें मंत्री के रूप में नियुक्त होने या अयोग्यता की तारीख से किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने पर रोक का प्रावधान है, उस तारीख तक जब तक कि उसका पद का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है या यदि वह विधायिका के लिए फिर से चुना जाता है, जो भी पहले हो।

भारत का संविधान-संवैधानिक अधिकारियों का कर्तव्य

संवैधानिकता और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना चर्चा की।

भारत का संविधान-Art.145 (3)-की व्याख्या-आयोजितः

Art.145 (3) में आने वाले दो महत्वपूर्ण वाक्यांश 'कानून का सारगर्भित प्रश्न' और 'संविधान की व्याख्या' हैं-दो

एक संदर्भ बनाए जाने से पहले शर्तों को समाप्त किया जा सकता हैः (i) न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में [2019] 16 एस. सी. आर. का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून; (ii) जिसका निर्धारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। संयोगवश उत्पन्न होने वाले सामान्य महत्व के कानून के किसी भी प्रश्न या अंतिम परिणाम के लिए कोई महत्व नहीं रखने वाले कानून के किसी भी सहायक प्रश्न को कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं माना जा सकता है।

शब्द और वाक्यांश "स्वैच्छिक" और "वास्तविक"-महत्वाकांक्षा,

कला के संदर्भ में। 190 (3) (ख) भारत का संविधान-कला। 190 (3) (ख)

समझाया गया।

शब्द और वाक्यांश-'अयोग्यता'-का अर्थ -

संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985-दसवीं अनुसूची।

शब्द और वाक्यांश-"संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन" आयोजितः वाक्यांश "संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन" अपने लिए बोलता है

संविधान-दसवीं अनुसूची और उसके तहत अध्यक्ष द्वारा पारित अयोग्यता के आदेश के संदर्भ में, " इसलिए संवैधानिक जनादेश "कुछ भी नहीं है, बल्कि अध्यक्ष के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है-एक" का उल्लंघन

संवैधानिक अधिदेश "केवल अध्यक्ष का एक असंवैधानिक कार्य है, जिसका दसवीं अनुसूची और उसमें अध्यक्ष की शक्तियों या कर्तव्यों के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता है और यह उसी-संविधान (पचास-दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985-दसवीं अनुसूची का उल्लंघन या उल्लंघन है।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 लेखन अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए मूल्यवान अधिकारों में से एक है, जो अपने आप में यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। किहोतो होलोहन मामले में निर्णय के बाद, अध्यक्ष, जबकि

अयोग्य घोषित करने की शक्ति का प्रयोग करना एक न्यायाधिकरण और वैधता है

आदेशों में से कुछ न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। किहोतो होलोहन मामले में निर्णय के अवलोकन पर, इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोई स्पष्ट या अंतर्निहित बाधा नहीं पाई गई है। इस न्यायालय को अनुच्छेद श्रीमान्थ बालासाहेब पटेल v द्वारा प्रदत्त अधिकारिता।

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

याचिकाकर्ताओं ने परिकल्पना के अनुसार न्यायिक पदानुक्रम को पीछे छोड़ दिया है संविधान के तहत। जिस तरह से याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, उसकी सराहना नहीं की जाती है।

अन्य कारणों के अलावा, वर्तमान मामले की सुनवाई अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए विशिष्ट तथ्यों के कारण की गई, जिसमें कुछ वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 में उच्चतम न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। न्यायालय ने 25.09.2019 पर कुछ समय तक मामले की सुनवाई की थी और 26.09.2019 , जब सभी पक्षों के वकीलों की सहमति से मामले को अंतिम सुनवाई के लिए तय किया गया था। चूंकि इस बीच काफी समय बीत गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक ही अभ्यास को दोहराया न जाए, न्यायालय के पास गुण-दोष के आधार पर इन मामलों की सुनवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। [पारस 22,26,28 और 29] [925-ए-बी; 926-डी-ई-एच; 927-ए-सी]

किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लु (1992) सप 2 एस. सी. सी.

651 : [1992] 1 एस. सी. आर. 686-अनुसरण किया गया।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। स्टरलाइट

इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 221-संदर्भित

को।

1.2 यह सच है कि 33 वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया

इस्तीफे को अस्वीकार करने के लिए अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्रदान करके संवैधानिक स्थिति। हालाँकि, इस तरह का विवेकाधिकार अयोग्य नहीं है, क्योंकि इस्तीफे को केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब अध्यक्ष "संतुष्ट हो कि ऐसा इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है"। इस्तीफे "स्वैच्छिक" या "वास्तविक" थे या नहीं, इसका निर्धारण अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश पर आधारित नहीं हो सकता है, इसके बजाय यह उनकी "संतुष्टि" पर आधारित होना चाहिए। भले ही संतुष्टि व्यक्तिपरक हो, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो दर्शाती है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है। जब कोई सदस्य लिखित रूप में अपना इस्तीफा देता है, तो अध्यक्ष को [2019] 16 एस. सी. आर. का पता लगाने के लिए तुरंत जांच करनी चाहिए।

संशोधन, अनुच्छेद में कोई प्रावधान नहीं था जिसके लिए अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे को स्वीकार करने की आवश्यकता थी प्रभावी। मूल रूप से, स्थिति यह थी कि एक विधान सभा का सदस्य एकतरफा कार्य द्वारा पद से इस्तीफा दे सकता है, और इस्तीफे की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले, एक प्रारंभिक सिद्धांत के रूप में, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विधानमंडल के सदस्य को इस्तीफा देने का अधिकार है। संविधान या किसी भी कानून में कुछ भी उन्हें इस्तीफा देने से नहीं रोकता है। एक सदस्य विभिन्न कारणों से इस्तीफा देने का विकल्प चुन सकता है और उसके कारण अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देना उसका एकमात्र विशेषाधिकार है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 33 वाँ संविधान संशोधन इस स्थिति को नहीं बदलता है। इसके विपरीत, यह सुनिश्चित करता है कि उनका इस्तीफा उनकी स्वतंत्र इच्छा के कारण है। दूसरा, 33 वें संविधान संशोधन में इस्तीफे को स्वीकार करने की आवश्यकता है

अध्यक्ष द्वारा। इस प्रकार, केवल अध्यक्ष को एक त्याग पत्र संबोधित करने से सीट अपने आप नहीं गिरेगी। खाली है। सीट खाली होने के लिए अध्यक्ष को इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार करना पड़ता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अध्यक्ष के पास इस्तीफे को अस्वीकार करने के लिए सीमित विवेकाधिकार है। अगर

त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है, अध्यक्ष को त्यागपत्र स्वीकार करना होता है और उसी के बारे में सूचित करना होता है। तीसरा, अध्यक्ष इस्तीफे को अस्वीकार कर सकते हैं, यदि अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि त्यागपत्र "स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं था"। चौथा, हालांकि "वास्तविक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इस संदर्भ में, इसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि एक लेखन जिसके द्वारा एक सदस्य इस्तीफा देने का विकल्प चुनता है, वह स्वयं सदस्य द्वारा है और किसी तीसरे पक्ष द्वारा जाली नहीं है।

"असली" शब्द केवल पत्र की प्रामाणिकता से संबंधित है। त्यागपत्र देना। [पैरा 35,38-42] [928-D-F; 929-D-H; 930-A-B F-G]

भारत संघ बनाम। गोपाल चंद्र मिश्रा (1978) 2 एस. सी. सी.

301 [1978] 3 एस. सी. आर. 12; मोती राम बनाम परम देव

(1993) 2 एससीसी 725: [1993] 2 एस. सी. आर. 250 संदर्भित है।

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

1.3 इसी तरह, "स्वैच्छिक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, इसका मतलब यह होगा कि इस्तीफा नहीं दिया जाना चाहिए।

धमकी, बल या जबरदस्ती पर आधारित। इसलिए अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह इस्तीफे को अस्वीकार कर दे यदि ऐसा इस्तीफा जबरदस्ती, धमकी या बल पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) की भाषा अध्यक्ष को मामले की जांच करने की अनुमति नहीं देती है।

इस्तीफे का मकसद। जब कोई सदस्य राजनीतिक दबाव में इस्तीफा दे रहा होता है, तब भी वह स्वेच्छा से ऐसा कर रहा होता है। एक बार सदस्य अपना इस्तीफा देता है यह "स्वैच्छिक" होगा और यदि लेखन का श्रेय उन्हें दिया जा सकता है, तो यह "वास्तविक" होगा। इस संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने

अध्यक्ष और इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा और फिर से पुष्टि की है कि उन्होंने स्वेच्छा से और वास्तव में सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह न्यायालय,

इससे पहले की रिट याचिका में, 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 होने के नाते, अध्यक्ष को सदस्यों के इस्तीफों पर गौर करने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन इसे लंबित रखा गया था। अध्यक्ष इस्तीफे को केवल तभी अस्वीकार कर सकते हैं जब जांच से पता चलता है कि यह "स्वैच्छिक" या "वास्तविक" नहीं है। जाँच सीमित होनी चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ने का इरादा रखता है। एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्तीफा देने को तैयार है, तो अध्यक्ष के पास इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इस्तीफे पर विचार करते समय किसी भी अन्य बाहरी कारक को ध्यान में रखना अध्यक्ष के लिए संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। अध्यक्ष की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उपरोक्त टिप्पणियां अध्यक्ष के कर्तव्य के दायरे को स्पष्ट करती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) के तहत। [पैरा 43,45 और 46] [930-जी-एच; 931-डी-एफ; 932-एफ-एच; 933-ए-बी]

2. स्वास्थ्य पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानते हुए दलबदल की बुराई को ठीक करने के लिए दसवीं अनुसूची लाई गई थी

हमारे लोकतंत्र में। 91 वां संविधान संशोधन उपरोक्त दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है कि दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए कानून को और मजबूत करने की आवश्यकता है। द.

उपरोक्त संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी को पेश किया। ये प्रावधान दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त होने या अयोग्यता की तारीख से उस तारीख तक किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने से रोकते हैं जिस पर कार्यकाल [2019] 16 एस. सी. आर.

इस्तीफ़ा देने पर अयोग्यता की कार्यवाही निष्फल हो जाएगी, कोई भी सदस्य जो अयोग्य होने के कगार पर है, तुरंत इस्तीफा दे देगा और अयोग्य होने से बच जाएगा। अनुच्छेद 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी के तहत दिए गए प्रतिबंध। इसलिए इस तरह की व्याख्या केवल इसके खिलाफ नहीं होगी

याचिका। याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन कि अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो अयोग्यता प्रस्ताव जारी नहीं रखा जा सकता है, सहमत नहीं है। भले ही त्यागपत्र दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इस्तीफे से पहले अयोग्यता उत्पन्न होती है-राष्ट्र समाप्त नहीं होता है। वर्तमान मामले में लंबित या आसन्न अयोग्यता कार्रवाई प्रस्तुत करने से प्रभावित नहीं होती

त्याग पत्र, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि

इस मामले में अयोग्यता सदस्यों से पहले ही उठ चुकी है।

विधानसभा से इस्तीफा देना। [पैरा 50,51,54-56] [934-D-H; 936-C; 937-A-E-G]

राजेन्द्र सिंह राणा बनाम। स्वामी प्रसाद मौर्य (2007) 4 एससीसी 270: [2007] 2 एस. सी. आर. 591-पर निर्भर।

3.1 'अयोग्यता' शब्द का शब्दकोश अर्थ है 'आधिकारिक तौर पर किसी को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोकना या श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

कुछ इसलिए करना क्योंकि वे उपयुक्त नहीं हैं, या उन्होंने कुछ गलत किया है। हालांकि, दसवीं अनुसूची के तहत

यदि उसका कार्य पैराग्राफ के तहत दी गई शर्तों में से एक में आता है, तो उसे किसी विधायी निकाय का सदस्य बने रहने से रोक दिया जाता है। 2. संविधान के अनुच्छेद 191 (1) में किसी व्यक्ति को (ए) सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और (बी) सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है।

विधान सभा या विधान परिषद की यदि उसके कार्य या उम्मीदवारी उसमें आधारों को आकर्षित करती है। के लिए अयोग्यता जैसे कि लाभ का पद धारण करना, मन की अस्वस्थता, दिवालियापन, आदि, किसी व्यक्ति को लाभ के पद पर बने रहने से रोकता है।

संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत निहित आधारों पर अयोग्यता का निर्धारण करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत, संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में निहित आधार पर अयोग्यता के बारे में निर्णय दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के संदर्भ में विशेष रूप से अध्यक्ष के पास निहित है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दसवीं अनुसूची के तहत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 (2) और 191 (2) के तहत प्रदान किए गए अयोग्यता से संबंधित हैं। राजनीतिक कलंक के अलावा किसी सदस्य की अयोग्यता, इसके परिणामस्वरूप दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साधन के रूप में दो और प्रतिबंध लग जाते हैं। दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 का इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है -

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता अंतिम है। हालाँकि, अध्यक्ष के आदेश से जुड़ी अंतिमता का मतलब इस न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति को छीनना नहीं हो सकता है। किहोतो होल्लोहन मामले में इस न्यायालय ने अध्यक्ष को मान्यता दी एक न्यायाधिकरण के रूप में भूमिका निभाई और उसमें दिए गए आधारों पर उसी के आदेशों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी। अध्यक्ष, एक संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते, आम तौर पर माना जाता है कि उनके पास [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

संवैधानिकता की उच्चतम परंपराओं के साथ न्यायनिर्णित। नज़र में

उसी के तहत, न्यायालयों को अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों पर निर्णय लेने के लिए एक सीमित समीक्षा की अनुमति दी गई थी

दसवीं अनुसूची। यहाँ, 'अंतिम' और 'निर्णायक' शब्दों के अर्थ में अंतर को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है कि अध्यक्ष का आदेश अंतिम है लेकिन निर्णायक नहीं है और यह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र में नहीं घटाया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के अनुपालन को निर्धारित करने का पैमाना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। [पैरास 60,64-66,68,69 और 72] [938-G-H; 939-A; 940-D-G; 941-F-H; 942-E-H; 943-F]

3.2 इसके अलावा, वाक्यांश "संविधान का उल्लंघन"

जनादेश "अपने लिए बोलता है और इसे अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। एक "संवैधानिक जनादेश" को संविधान के तहत या उसके द्वारा आवश्यक के रूप में समझा जा सकता है। दसवें के संदर्भ में अनुसूची, और उसके तहत अध्यक्ष द्वारा पारित अयोग्यता का आदेश, इसलिए "संवैधानिक जनादेश" कुछ और नहीं है, बल्कि वह है जो अध्यक्ष के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है। "संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन" केवल अध्यक्ष का एक असंवैधानिक कार्य है, जिसका दसवीं अनुसूची और उसमें अध्यक्ष की शक्तियों या कर्तव्यों के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता है और यह उसी का उल्लंघन या उल्लंघन है। संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन के बिंदु पर, हालांकि न्यायालय की राय है कि द्वारा की गई एक त्रुटि थी

अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में, यह उस स्तर तक नहीं बढ़ता है जिसके लिए न्यायालय को रद्द करने की आवश्यकता होती है

अयोग्यता के आदेश पूरी तरह से। अदालत ने जिस विशिष्ट त्रुटि की पहचान की है, वह अयोग्यता की अवधि से संबंधित है

आक्षेपित आदेशों में अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित। हालाँकि, यह त्रुटि अलग करने योग्य है, और इसकी जड़ तक नहीं जाती है

अयोग्यता, और इस प्रकार न्यायालय को अयोग्यता के आदेशों को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भावना का आधार उपलब्ध है, उसी के बारे में सबूत की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो

उक्त कार्रवाई को चुनौती देता है और आरोप लगाने के लिए बहुत भारी बोझ है। वर्तमान मामले में, हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अध्यक्ष ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है, लेकिन उन्होंने न तो कोई विशिष्ट आरोप लगाया है, और न ही यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस भारी बोझ का निर्वहन किया है जो यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि श्रीसंत बालासाहेब पाटिल v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

दुर्भावनापूर्ण बना दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अध्यक्ष का आदेश विकृत है; कैसे-कभी, वे विशेष रूप से इस तरह के किसी भी उदाहरण को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं। इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में "विकृति" को ऐसी स्थिति से संबंधित समझा गया है जहां उसके समक्ष दर्ज किए गए निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के, या अत्यंत अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर प्राप्त किए गए हैं, और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। अध्यक्ष के विवादित आदेशों को विकृति के आधार पर दी गई चुनौती से कायम रखा जा सकता है क्योंकि उत्तरदाता यह दिखाने में सक्षम हुए हैं कि विवादित आदेशों को पारित करने के लिए अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी। इसके अलावा, अभिलेख पर लाए गए तथ्यों की समग्रता पर विचार करने पर, यह नहीं माना जा सकता है कि अध्यक्ष के निष्कर्ष इस प्रकार हैं

अनुचित या अनुचित है कि कोई भी न्यायाधिकरण एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। याचिकाकर्ताओं ने भी नहीं किया

अध्यक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, उसका विरोध करें। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता अध्यक्ष के आदेशों में कोई अवैधता दिखाने में विफल रहे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल किहोतो होलोहन मामले के तहत विस्तृत आधारों तक ही सीमित है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों में किसी भी अवैधता को स्थापित नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष ने सामग्री और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि सदस्यों ने स्वेच्छा से पार्टी की अपनी सदस्यता छोड़ दी है, जिससे दसवीं अनुसूची के संदर्भ में अयोग्यता हो गई है, इन रिट याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा तथ्यों की समीक्षा और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः अयोग्यता की सीमा तक अध्यक्ष के आदेशों को होना चाहिए

स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि अध्यक्ष ने अयोग्यता आदेशों के माध्यम से उन्हें चुनाव लड़ने और सदन का सदस्य बनने से प्रतिबंधित कर दिया है। कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा की शेष अवधि। [पारस 77-84] [945-B-F-H; 946-A-H; 947-E-G]

राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा, (2007)

3 एससीसी 184: [2007] 1 एस. सी. आर. 317; ई. पी. रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 3: [1974] 2 एस. सी. आर. 348; न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ (1991) 4 एस. सी. सी. 699 [1991] 2 एस. सी. आर. 741 -

संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद के कार्यों, अभ्यास और प्रक्रिया पर ग्रिफ़िथ और राइल (1989 संस्करण, p.119)--संदर्भित।

4.1 संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल के कारण अयोग्यता से निपटने के दौरान, इस तरह की अयोग्यता के परिणामों या अवधि को निर्दिष्ट नहीं करती है। वास्तव में, अयोग्यता के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्ति संविधान के अनुच्छेद 190 (3) के तहत प्रदान की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 191 में सदस्यता से अयोग्यता का प्रावधान है।

आम तौर पर किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद। संविधान का अनुच्छेद 191 (1) एक सामान्य प्रावधान है।

विशेष अवधि या अवधि। संविधान के अनुच्छेद 191 (1) में प्रावधान है कि किसी भी खंड के तहत अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति अनुच्छेद 191 (1) के तहत सदन के सदस्य के रूप में "चुने जाने" और "सदस्य होने" दोनों के लिए अयोग्य ठहराया गया है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 191 (2) केवल "सदस्य होने के लिए" वाक्यांश का उपयोग करता है, जो दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 में उपयोग की जाने वाली भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में "सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए" वाक्यांश के अपवर्जन से पता चलता है कि दसवें के तहत अयोग्यता

अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत प्रदान की गई अन्य प्रकार की अयोग्यताओं से गुणात्मक और संवैधानिक रूप से अलग है। "के रूप में चुने जाने के लिए" वाक्यांश का एक विशिष्ट अर्थ है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं बन सकता है।

सदन का सदस्य, यदि संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत अयोग्यता से पीड़ित है। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में इन शब्दों की अनुपस्थिति से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो अब संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के कारण सदस्य नहीं है, वह बाद में सदस्य बनने की अनुमति नहीं दिए जाने की अतिरिक्त दुर्बलता से पीड़ित नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता है। इस व्याख्या का समर्थन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) में प्रयुक्त भाषा द्वारा किया जाता है। श्रीमान्थ बालासाहिब के अनुच्छेद 164 (1 ख) और 361 ख v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

संविधान, जिसे 91 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह भी दर्शाता है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है। उपरोक्त दोनों संवैधानिक प्रावधान विशेष रूप से उस बाहरी अवधि का संकेत देते हैं जिसके लिए उसमें संकेतित परिणाम विस्तारित होंगे, जो या तो कार्यकाल के अंत तक या अयोग्य सदस्य के चुने जाने तक, जो भी पहले हो। तथ्य यह है कि इन दोनों प्रावधानों में "जो भी पहले हो" वाक्यांश का उपयोग किया जाता है, यह इंगित करता है कि संविधान एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होता है। इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधानों में उपयोग किए गए "चुनाव" शब्द को किसी अन्य शब्द से बाधित नहीं किया गया है, जो इस विचार को मजबूत करता है कि जिस सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया गया है, उसे चुनाव से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। चुनाव लड़ रहे हैं। संसद सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 72 के साथ पठित अनुच्छेद 191 (1) (ई) के तहत एक अधिनियम के माध्यम से चुनाव लड़ने से व्यक्तियों की अयोग्यता का प्रावधान करने वाला कानून बना सकती है। यह इस शक्ति का प्रयोग है कि संसद ने प्रतिनिधित्व को अधिनियमित किया

लोक अधिनियम, 1951। उपर्युक्त अधिनियम की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि इसे इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था -

नीचे। हालाँकि, प्रावधान दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के लिए प्रावधान नहीं करते हैं और उनसे संबंधित नहीं हैं। स्पष्ट रूप से, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 भी इस तरह की अयोग्यता पर विचार नहीं करती है। इसलिए, न तो संविधान के तहत और न ही वैधानिक योजना के तहत इस पर विचार किया जाता है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता फिर से चुनाव लड़ने के लिए एक बाधा के रूप में काम करेगी। खंड (1) और [2019] 16 एस. सी. आर. की भाषा।

ऐसा करना और प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार करना संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ होगा। यह अदालत ने बार-बार कहा है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है यदि वह अन्यथा चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। सुविधा, समानता, तर्क या कथित राजनीतिक इरादों के आधार पर अयोग्यता के आधार में कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने की शक्ति संविधान के तहत या संसद द्वारा कानून बनाकर विशेष रूप से प्रदान की जानी चाहिए। चूँकि न तो संविधान और न ही किसी अधिनियम में आगे के चुनाव लड़ने पर रोक के रूप में किसी अन्य दल को दलबदल करने का प्रावधान है, इसलिए अध्यक्ष की अंतर्निहित शक्तियों की अस्पष्ट अवधारणा में इस तरह के प्रतिबंध को पढ़ना अस्वीकार्य है।

और अमान्य। [पारस 90-98,100,101,103,106] [949-बी-एच; 950 ए-जी; 951-बी-एफ; 952-ए-सी; 953-ई-एच; 954-ए-बी]

जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नीरसेल्वम, (1972) 3 एससीसी

717 [1973] 1 एस. सी. आर. 172-संदर्भित।

4.2 अध्यक्ष, दसवीं अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवधि को इंगित करने की शक्ति नहीं रखता है।

जिसके लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है और न ही किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाता है। किसी विशेष नियम या कानून की वांछनीयता को किसी भी स्थिति में प्रश्न के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए

उसी का अस्तित्व, और संवैधानिक नैतिकता को कभी भी राजनीतिक नैतिकता द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, यह तय करने में कि क्या संविधान आदेश देता है। [इंद्र साहनी बनाम का उल्लेख करें। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217]। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अध्यक्ष द्वारा पारित विवादित आदेशों का वह हिस्सा जो निर्दिष्ट करता है कि अयोग्यता आदेश की तारीख से लेकर कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक संवैधानिक जनादेश के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगी, और इस श्रीमान्थ बालासाहेब याचिका को निरस्त कर देगा।

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

अयोग्यता आदेश का हिस्सा। हालाँकि, यह आदेश की जड़ तक नहीं जाता है, और इस तरह, अयोग्यता आदेशों की वैधता के पहलू को प्रभावित नहीं करता है। [पारस 110,111] [955 एफ-जी; 956-ए-बी]

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ, (1992) पूरक 3 एस. सी. सी.

217 : [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454-संदर्भित।

5.1 संविधान के अनुच्छेद 145 (3) में आने वाले दो महत्वपूर्ण वाक्यांश 'कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न' हैं और

' संविधान की व्याख्या '। उपरोक्त प्रावधान को पढ़कर, संदर्भ देने से पहले दो शर्तों को दूर किया जा सकता हैः (i) न्यायालय का समाधान है कि मामले में इस संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है; (ii) जिसका निर्धारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि न्यायालय नहीं है वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए राजी किया गया क्योंकि उपरोक्त अनुच्छेद का अधिदेश यह है कि इस न्यायालय को संवैधानिक व्याख्या पर कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि संवैधानिक व्याख्या के प्रत्येक मामले को अनिवार्य रूप से संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब दो या दो से अधिक संभावित निर्माणों को किसी प्रावधान पर रखने की मांग की जाए। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का दायरा अच्छी तरह से स्थापित है, जो इस संबंध में आगे किसी संदर्भ के योग्य नहीं है। मामला ज्यादातर इस तथ्य पर आधारित है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इन याचिकाकर्ताओं का दलबदल उनके इस्तीफे से पहले ही हो गया था। में

विवादित आदेशों पर, अध्यक्ष ने एक मामला बनाया है कि याचिकाकर्ताओं के कृत्यों ने "स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ने" का संकेत दिया है।

इसलिए, सदस्यों द्वारा इस्तीफा देने के बाद अयोग्यता से निपटने के लिए अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल नहीं उठता है। उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, इससे निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने से इनकार कर देता है, यह देखते हुए कि इस मामले में संवैधानिक व्याख्या का कोई ठोस सवाल नहीं है। [पैरा 120,121,124-126 और 129] [959-B-E; 960-G; 961-B-D-H] [2019] 16 एस. सी. आर.

अब्दुल रहीम इस्माइल सी. रहीमतूला बनाम। बम्बई राज्य,

ए. आई. आर 1959 एस. सी. 1315 [1960] एस. सी. आर. 285; भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य, आकाशवाणी

1965 एससी 682: [1964] एस. सी. आर. 378; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ (2003) 4 एस. सी. सी.

399 [2003] 2 एस. सी. आर. 1136-संदर्भित।

5.2 डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 992 2019 का

अध्यक्ष के आदेश में विकृति नहीं होती है। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता ने भी विरोध करने के लिए सामग्री प्रस्तुत नहीं की है

अध्यक्ष द्वारा आक्षेपित आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष। इस दावे के संबंध में कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी खड़ा नहीं होगा कि अध्यक्ष ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद उसे अयोग्य घोषित करने के लिए ठोस कारण दिए हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कथित उल्लंघन का भी मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई महत्व नहीं है क्योंकि इस तथ्य के आलोक में पढ़ा जाता है कि विश्वास मत पर मतदान किया जाना था। [पैरा 134] [963-बी-सी]

5.3 डब्ल्यू. पी. (सी) नहीं। 997 2019 का

फरवरी 2019 से याचिकाकर्ता। अध्यक्ष ने कहा था अयोग्यता का आदेश पारित करने के लिए उसके सामने पर्याप्त सामग्री है।

क्रम में कोई दुर्बलता मौजूद नहीं है, जो हमारे लिए कॉल करता है भोग और हस्तक्षेप। [पारस 136-138] [963-H; 964-A-E]

5.4 डब्ल्यू. पी. (ग) एन. ओ. एस. 998 , 1000 , 1001 , 1005 , 1006 और 1007

इन याचिकाकर्ताओं। रिट याचिका (सी) संख्या में याचिकाकर्ता। 998 , 1000 , 1001 , 1006 और 2019 के 1007 सभी आई. एन. सी. के सदस्य थे, जिनके विरुद्ध अयोग्यता याचिका सं। 3 और 2019 के 4 को स्थानांतरित कर दिया गया। अध्यक्ष द्वारा 10 याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराते हुए 28.07.2019 दिनांकित एक सामान्य आदेश पारित किया गया था। सुनवाई के अवसर के साथ तीन दिनों का नोटिस श्रीमान्थ बालासाहिब याचिका v में पर्याप्त होता।

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को, जब रवि एस नाइक मामले में निर्णय के आलोक में देखा जाए। इस संबंध में, न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि उनके ईमेल और उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उनके स्थायी पते पर नोटिस भेजे गए थे। अद्वितीय तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। यह पूरी तरह से एक अलग बात है कि उपरोक्त याचिकाकर्ता मुंबई में थे, भले ही उन्हें नोटिस के बारे में पता था, और उनमें से कुछ ने अध्यक्ष के सामने अपना प्रतिनिधित्व करने की जहमत भी नहीं उठाई। इस संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। नतीजतन, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। [पैरा 139 140-143] [964-F-G; 965-F-H]

रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ, (1994) पूरक 2 एस. सी. सी.

641 : [1994] 1 एस. सी. आर. 754-संदर्भित।

5.5 डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 1003 2019 का

यह मानने के लिए कोई कारण और अच्छा आधार नहीं मिला है कि

आक्षेपित क्रम में निष्कर्ष विकृत हैं और किसी भी सबूत पर आधारित नहीं हैं। बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया रुख और याचिका योग्यता से रहित है। इसी तरह, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर आधारित याचिका उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विफल होनी चाहिए। उपरोक्त सभी मामलों में विशिष्ट समय नहीं देने के आरोपों पर निष्कर्ष प्रत्येक मामले के अद्वितीय तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यक्ष सुनवाई की अवधि में कटौती कर सकते हैं। द. अध्यक्ष को अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने से पहले किसी सदस्य को पर्याप्त अवसर देना चाहिए और आम तौर पर विधानमंडल के नियमों में निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए। [पारस 150,151] [967-डी-ई]

6.1 उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यहां दिए गए कानून का सारांश इस प्रकार हैः (क) अध्यक्ष ने निर्णय लेते हुए क अयोग्यता याचिका, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और

इस प्रकार पारित आदेशों की वैधता पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है। हालांकि, आम तौर पर, अयोग्यता को चुनौती देने वाली पार्टी को पहले यह करना आवश्यक है

उच्च न्यायालय से संपर्क करना उचित, प्रभावी और त्वरित होगा। (ख) [2019] 16 एस. सी. आर. के साथ अध्यक्ष की जांच का दायरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वारा दिए गए इस्तीफे की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में

विधायिका का कोई सदस्य इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या ऐसा इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया था या वास्तव में दिया गया था। एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्तीफा देने को तैयार है, तो अध्यक्ष के पास इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अध्यक्ष के लिए इस पर विचार करते समय किसी भी बाहरी कारक को ध्यान में रखना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है - त्यागपत्र दें। अध्यक्ष की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। (ग) दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के कारण इस्तीफा और अयोग्यता, दोनों के परिणामस्वरूप रिक्तियां

विधायिका में सदस्य द्वारा आयोजित सीट, लेकिन आगे के परिणाम अलग-अलग हैं। (घ) दसवीं अनुसूची का उद्देश्य और उद्देश्य पद के प्रलोभन या इसी तरह के विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाना है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालते हैं। 91 वें तक

संविधान संशोधन, अनुच्छेद 71 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि किसी सदस्य को संविधान द्वारा अयोग्य ठहराया जाए।

दलबदल के कारण अध्यक्ष को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है या अयोग्यता की तारीख से या उस तारीख तक कोई लाभकारी राजनीतिक पद नहीं रखता है जिस पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

समाप्त हो जाता है या वह विधायिका के लिए फिर से चुना जाता है, जो भी पहले हो। (ई) अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब दलबदल का कार्य होता है। अयोग्यता का तथ्य और दाग

त्याग पत्र देकर वाष्पित नहीं होता है

अध्यक्ष महोदय। एक लंबित या आसन्न अयोग्यता कार्रवाई त्याग पत्र प्रस्तुत करने से निष्फल नहीं हो जाती है, जब अयोग्यता के कार्य सदस्य के निर्णय से पहले उत्पन्न हो जाते हैं। त्याग पत्र। (च) किहोतो होलोहन की पूर्ववर्ती संविधान पीठ के फैसले में, दसवें के तहत अध्यक्ष का आदेश

अनुसूची चार आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती हैः दुर्भावनापूर्ण, विकृति, संवैधानिक जनादेश और व्यवस्था का उल्लंघन

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में पारित किया गया। (छ) उपरोक्त सभी मामलों में विशिष्ट समय नहीं देने के आरोपों पर निष्कर्ष मामले के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यक्ष सुनवाई की अवधि में कटौती कर सकते हैं। अध्यक्ष को अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने से पहले किसी सदस्य को पर्याप्त अवसर देना चाहिए और

आम तौर पर नियमों में निर्धारित समय सीमा का पालन करें विधायिका। (ज) मौजूदा संवैधानिक जनादेश के आलोक में, श्रीमान्थ बालासाहेब पटेल v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

अध्यक्ष को कार्यकाल के अंत तक किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा, जो मंत्री के रूप में नियुक्त होने या किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने पर रोक लगाता है।

समाप्त हो जाता है या यदि वह विधायिका के लिए फिर से चुना जाता है, जो भी हो इससे पहले। (i) अध्यक्ष द्वारा तटस्थ रहने के संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आगे घोड़ा व्यापार

और पद के प्रलोभन या गलत कारणों से दलबदल और वफादारी में बदलाव से जुड़ी भ्रष्ट प्रथाएं कम नहीं हुई हैं। इस प्रकार नागरिकों को स्थिर सरकारों से वंचित कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में, कुछ पहलुओं को मजबूत करने पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रथाओं को हतोत्साहित और नियंत्रित किया जा सके। (जे) कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व मामले में शामिल दांव पर नहीं पड़ता है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि "कानून के प्रश्न" का अंतिम मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

दृढ़ संकल्प। यदि अंतिम परिणाम पर निर्णायक प्रभाव डालने वाले प्रश्न पहले ही एक निर्णायक प्राधिकारी द्वारा तय किए जा चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों को "सारवान" नहीं कहा जा सकता है। कानून के प्रश्न "। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद नहीं है, जिसके लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है। [पैरा 152] [967-एफ-एच; 968-ए-एच; 969-ए-एच]

6.2 निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः अध्यक्ष द्वारा दिनांकित 25.07.2019 और 28.07.2019 आदेश पारित किए गए

उसमें। हालाँकि, अध्यक्ष के आदेशों का हिस्सा विवरण देता है अयोग्यता की अवधि, अर्थात। , संबंधित आदेश की तारीख से कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक, तदनुसार अलग रखा जाता है। [पैरा 153] [970-ए-सी]

उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1621: [1963] एससीआर 778; नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1: [1966] एससीआर

744 पीछा किया।

जगजीत सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2006) 11 एस. सी. सी. 1; डी. संजीवया बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश [2019] 16 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. जी. वसंत पाई, (1972) 2 एससीसी 594: [1973] 1 एससीआर 886 पर भरोसा किया। -

यू. पी. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड वी. आर. एस. पांडे (2005) 8 एससीसी 264: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 603; उत्तर राज्य

प्रदेश बनाम. मोहम्मद नूह एयर 1958 एससी 86: [1958]

एस. सी. आर. 595; हरबंसलाल साहनिया बनाम। इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड (2003) 2 एस. सी. सी. 107; मेनका गांधी

वी. भारत संघ (1978) 1 एससीसी 248: [1978] 2 एससीआर

621 ; दिल्ली परिवहन निगम बनाम। डी टी सी मजदूर

कांग्रेस (1991) पूरक 1 एस. सी. सी. 600: [1990] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 142; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. भारत संघ

(2018) 8 एससीसी 501 [2018] 7 एससीआर 1; आर. एस. दास बनाम

भारत संघ, (1986) एस. सी. सी. 617 [1987] एस. सी. आर.

527 ; बालचंद्र एल. जरखिहोली बनाम। बी एस येदियुरप्पा, (2011) 7 एससीसी 1: [2011] 10 एस. सी. आर. 877; मायवती बनाम।

मार्कण्डेय चंद, (1998) 7 एस. सी. सी. 517 [1998] 2

पूरक। एस. सी. आर. 204; पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम। संघ

भारत (2019) 3 एस. सी. सी. 224: [2018] 10 एससीआर 14

-

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 3 पूरक। एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[1958] एससीआर 595

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

(2003) 2 एस. सी. सी. 107

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[1992] 1 एससीआर 686

पै

रा 21

पीछा किया।

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1963] एससीआर 778

पीछा किया।

पै

रा 24

[1966] एससीआर 744

पीछा किया।

पै

रा 24

(2006) 11 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[1978] 3 एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1993] 2 एससीआर 250

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1990] 1 पूरक। एससीआर 142

पै

रा 52

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 53

[2007] 2 एससीआर 591

उस पर भरोसा करें

पै

रा 53

[1967] एससीआर 489

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[1987] एससीआर 527

संदर्भित किया गया है

पैरा 72 श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल v. माननीय वक्ता, कर्नाटक विधायी सभा

[1994] 1 एससीआर 754

संदर्भित किया गया है

पै

रा 73

[2011] 10 एससीआर 877

संदर्भित किया गया है

पै

रा 74

[2007] 1 एससीआर 317

संदर्भित किया गया है

पै

रा 77

[1974] 2 एससीआर 348

संदर्भित किया गया है

पै

रा 79

[1991] 2 एससीआर 741

संदर्भित किया गया है

पै

रा 79

[1998] 2 पूरक। एससीआर 204

संदर्भित किया गया है

पै

रा 81

[1973] 1 एससीआर 172

संदर्भित किया गया है

पै

रा 101

[1973] 1 एससीआर 886

उस पर भरोसा करें

पै

रा 102

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

पै

रा 110

संदर्भित किया गया है

[1960] एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पै

रा 123

[1964] एससीआर 378

पै

रा 123

संदर्भित किया गया है

[2003] 2 एससीआर 1136

संदर्भित किया गया है

पै

रा 123

[2018] 10 एससीआर 14

संदर्भित किया गया है

पै

रा 128

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

992 2019 से।

के साथ लेखन
याचिका (सी) सं। 997 , 1000 , 998 , 1005 , 1003 , 1001 , 1007 ,

1006 2019 से।

मुकुल रोहतगी, वी. गिरि, के. वी. विश्वनाथन, गंगाधर आर.

गुरुमठ, सी. ए. सुंदरम, साजन पूवय्या, राकेश द्विवेदी, कपिल सिब्बल, डॉ. राजीव धवन, देवदत्त कामत, के. शशीकिरण शेट्टी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शुभ्रांशु पाधी, कुश चतुर्वेदी, संदीप पाटिल, सुश्री प्रेरणा प्रियदर्शिनी, अपूर्व सिंघल, सुश्री प्रियश्री शर्मा पीएच, आशीष

यादव, रक्षित जैन, सुश्री एस. शंकर, सुश्री पलक महाजन, सुश्री दीक्षा राय, टी. वी. रत्नम, देवराजे गौड़ा जी., विक्रम हेगड़े, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत, अभिषेक गुप्ता, शांतनु लखोटिया, काशी वी., प्रतिभा खरोला, सुश्री रक्षा अग्रवाल, सुश्री हिमा लॉरेंस,

मिश्रा सौरभ, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अयियाला इम्तिया, प्रतीक कुमार, एकलव्य द्विवेदी, सुनील फर्नांडीस, निजाम पाशा, जावेदुर रहमान, सुश्री प्रियांशा इंद्रा शर्मा, अश्विन जी. राज, सुश्री सिद्धि पाडिया, महेश ठाकुर, सुश्री शेफाली चौधरी, श्रीमती.

विपाशा सिंह, वैभव रमेश, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय

सामग्री की तालिका

परिचय

ए.

विवादात्मक बातें

बी.

एस.

मुद्दे

रिट याचिका की रखरखाव क्षमता

डी.

ई.

इस्तीफों की अस्वीकृति

इस्तीफे के बाद अयोग्यता कार्यवाही

एफ.

अयोग्यता आदेश की वैधता

जी.

अयोग्यता का निर्देश देने की अध्यक्ष की शक्ति

कार्यकाल की समाप्ति तक

एच.

संविधान पीठ का संदर्भ

आई.

व्यक्तिगत मामले

जे.

निष्कर्ष

के.

एन. वी. रमना, जे.

ए. परिचय

1. भारतीय संसदीय लोकतंत्र पर प्रतिबिंबित करते हुए, के शब्द

समाजशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस आंद्रे बेटिले को देखने की आवश्यकता हैः

" एक संसदीय लोकतंत्र में, के दायित्व

संवैधानिक नैतिकता समान रूप से बाध्यकारी होने की उम्मीद है

सरकार और विपक्ष। भारत में भी ऐसा ही

राजनीतिक दल इन दायित्वों को बहुत अलग तरीके से मानते हैं जब

यह कार्यालय में है, और जब यह इससे बाहर है। इसने योगदान दिया है।

हमारी राजनीतिक प्रणाली की लोकप्रिय धारणा के रूप में अनैतिक होना। "

यद्यपि संविधान निर्माताओं ने 'हम' को सौंपा

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले लोगों के लिए, यहाँ जिस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए वह यह है कि हमने अपने कर्तव्य का किस हद तक निर्वहन किया है और अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायित्वों को बनाए रखा है।

1 आंद्रे बेटिले, 'संवैधानिक नैतिकता', आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 43 (40) (4 अक्टूबर 2008)।

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

2. इस संदर्भ में, लेखन के इस समूह में उत्पन्न होने वाले प्रश्न

याचिकाएं लोकतंत्र में दलगत राजनीति के महत्व और संविधान के तहत अनिवार्य सुशासन की सुविधा के लिए सरकार के भीतर स्थिरता की आवश्यकता से संबंधित हैं। हमे रहना है

ध्यान रखें कि असहमति और दलबदल के बीच की अलग रेखा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को अन्य संवैधानिक विचारों के साथ संतुलन में रखा जा सके। इस तरह के संतुलन को बनाए रखने के प्रयास में, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों के बीच संतुलन बनाए रखने में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, इस न्यायालय की भूमिका केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या अध्यक्ष ने एक तटस्थ सदस्य के रूप में अपने पद की परंपरा को बनाए रखा है।

संविधान।

3. ये रिट याचिकाएं पाँच अलग-अलग आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं।

कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा पारित किया गयाः 2019 की अयोग्यता याचिका संख्या 1 और 2019 की अयोग्यता याचिका संख्या 07 में दिनांकित दो आदेश; 2019 की अयोग्यता याचिका संख्या 05 में 28.07.2019 दिनांकित दो आदेश और

क्रमशः 2019 की अयोग्यता याचिका संख्या 08; और अयोग्यता याचिका संख्या में 28.07.2019 दिनांकित एक सामान्य आदेश। 3 और 2019 का 4.

4. संक्षिप्त तथ्य जो वर्तमान के निपटारे के लिए आवश्यक हैं

याचिकाओं में कहा गया है कि 15 वीं कर्नाटक विधानसभा के परिणाम 15.05.2018 पर घोषित किए गए थे। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों ने निम्नलिखित सीटें हासिल कींः

सीट जीती

पार्टी

1

बहुजन समाज पार्टी

104

भारतीय जनता पार्टी [भाजपा]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [आई. एन. सी]

78

जनता दल (सेक्युलर) [जद (एस)]

37

कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टी [केपीजेपी]

1

1

स्वतंत्र

कुल

5. याचिकाकर्ताओं को 15 वीं के सदस्यों के रूप में चुना गया था।

कर्नाटक विधानसभा, नीचे दिए गए विवरण के अनुसारः

याचिकाकर्ता (एस)

डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं।

पार्टी

संविधान

992/2019

श्रीमंत बालासाहेब पाटिल

आईएनसी

कागवाड

997/2019

1. रमेश जरखिहोली

आईएनसी

1. गोकाक

2. महेश कुमाथल्ली

2. अथानी

1. प्रताप गौड़ा पाटिल

1. मास्की

998/2019

आईएनसी

2. बी सी पाटिल

2. हिरेकेरूर

3. येल्लापुर

3. अरबेल शिवराम हेब्बार

4. यश्वंतपुरा

4. एस. टी. सोमशेखर

5. बी. ए. बासवराज

5. केआर पुरा

6 . आरआर नगर

6. मुनिरत्न

आईएनसी

चिक्काबल्लापुर

1000/2019

डॉ. के. सुधाकर

आनंद सिंह

विजयनगर

आईएनसी

1001/2019

केपीजेपी

1003/2019

आर. शंकर

रानीबेन्नूर

स्वतंत्र

जे. डी. (एस)

1. हुनसुर

1005/2019

1. ए. एच विश्वनाथ

2. के. गोपालैया

2.

महालक्ष्मी लेआउट

3. के. सी. नारायणगौड़ा

3.

कृष्णराजपेट

रोशन बेग

1006/2019

शिवाजी

नगर

आईएनसी

एन. नागराजू एमटीबी

आईएनसी

होसाको

टे

1007/2019

6. हालाँकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसका प्रयास था

सरकार का गठन सफल नहीं रहा। श्री कुमारस्वामी (उत्तरदाताओं में से एक) के नेतृत्व में आई. एन. सी. और जे. डी. (एस.) की गठबंधन सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का कार्यकाल लगभग 14 महीने का था। कई दिनों की देरी के बाद 23.07.2019 पर विश्वास मत हारने पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की घटनाएं वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामले की पृष्ठभूमि बनाती हैं।

7. 2019 की 11.02.2019 अयोग्यता याचिका संख्या 1 पर था

रमेश एल. जरखिहोली, महेश इरनागौद कुमाथल्ली, उमेश जी. जाधव और बी. नागेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुख्य आरोप यह थे कि उन्होंने पार्टी की बैठकों और आई. डी. 1 के बाद से आयोजित विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और उपरोक्त सभी सदस्यों का आचरण आई. एन. सी. द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन था। इसके बाद, 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 997 में याचिकाकर्ताओं, रमेश एल. जरखिहोली और महेश इरनागौद कुमाथल्ली ने 06.07.2019 पर अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए।

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

बासवराज, मुनिरत्न, ए. एच. विश्वनाथ, के. गोपालैया, के. सी. नारायणगौड़ा, आनंद सिंह, एन. नागराजू एम. टी. बी. और रोशन बेग ने सदन की सदस्यता से अपने इस्तीफे सौंप दिए।

01.07.2019 11.07.2019 तक।

9. हालाँकि, अध्यक्ष ने उपरोक्त व्यक्तियों के इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस तथ्य से दुखी कि उनके इस्तीफे थे

स्वीकार नहीं किया गया, और आसन्न विश्वास मत अपरिहार्य होने के कारण, उपरोक्त व्यक्तियों में से अधिकांश ने एक रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 थी। इस न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका में 11.07.2019 पर अध्यक्ष को इस बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस्तीफे तुरंत दिए गए, और आगे इसे इस न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया। उक्त आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" ..... मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं को, जिनकी संख्या दस है, आज शाम 6 बजे कर्नाटक विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति देते हैं। हम माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे दस लोगों को श्रोता दें। उक्त समय में याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता, यदि वे ऐसा चाहते हैं और इतने इच्छुक हैं, तो माननीय अध्यक्ष को सूचित करेंगे

विधानसभा त्यागपत्र देने का अपना निर्णय लेती है, जिस स्थिति में, माननीय अध्यक्ष तुरंत निर्णय लेंगे और किसी भी मामले में, दिन के शेष भाग के दौरान। इस तरह का फैसला

माननीय अध्यक्ष, जैसा कि वर्तमान आदेश के संदर्भ में लिया जा सकता है,

कल न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा (12.07.2019)।

10. इस बीच, आई. एन. सी. के सदस्यों ने बी. नागेंद्र के खिलाफ अयोग्यता में अपनी अयोग्यता की शिकायत वापस ले ली

2019 की याचिका संख्या 1। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय के आदेश के बावजूद अध्यक्ष ने इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं लिया। साथ ही, ए

आई. एन. सी. और जे. डी. (एस.) द्वारा 12.07.2019 पर अपने सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आह्वान करते हुए व्हिप जारी किया गया था, और यदि वे इसमें भाग लेने में विफल रहते हैं तो सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा, अयोग्यता याचिका सं। 3 , 4 और डॉ. के. सुधाकर, प्रताप के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए गए।

गौड़ा पाटिल, बी. सी. पाटिल, अरबेल शिवराम हेब्बर, एस. टी. सोमशेखर, बी. ए. बसवराज, मुनिरत्न, ए. एच. विश्वनाथ, के. गोपालैया, के. सी. नारायणगौड़ा, आनंद सिंह, एन. नागराजू एम. टी. बी. और रोशन बेग 10.07.2019 से 12.07.2019 के बीच।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. तत्पश्चात, जब उपरोक्त रिट याचिका सामने आई एन. जी. 12.07.2019 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" उत्पन्न हुए भारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और तथ्यों की अधूरी स्थिति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमारा विचार है कि इस मामले पर न्यायालय द्वारा 16 तारीख को आगे विचार किया जाना चाहिए। जुलाई, 2019।

इस बीच, आज की स्थिति के संबंध में इस्तीफे का मुद्दा और न ही अयोग्यता का मुद्दा माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाए।

यह आदेश इस न्यायालय द्वारा केवल न्यायालय को सक्षम बनाने के लिए पारित किया गया है। संकेत के अनुसार उत्पन्न होने वाले बड़े संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय लेना। ऊपर "।

(जोर दिया गया)

12. इसके अलावा, इस न्यायालय ने 17.07.2019 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" मामले में मुद्दा यह है कि क्या इस्तीफे जमा किए गए हैं। पहले एक समय पर विधान सभा के सदस्यों द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत उनकी अयोग्यता के लिए याचिकाओं से अधिक निर्णय लेने में संविधान की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रक्रिया या क्या कार्यवाही के दोनों सेटों को लिया जाना चाहिए एक साथ या अयोग्यता की कार्यवाही होनी चाहिए इस्तीफे के लिए अनुरोध (ओं) पर वरीयता।

विद्वान वकीलों द्वारा तर्क दिए गए हैं अनुच्छेद 164,190,191,212 और 361 बी की कसौटी पर पक्षकार और संविधान की दसवीं अनुसूची। हमने विचार किया है एक ही। संवैधानिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए न्यायालय द्वारा संपूर्ण गणना जब तक कि ऐसा कोई अभ्यास न हो

उन मुद्दों को हल करने के लिए अपरिहार्य और अपरिहार्य जो हो सकते हैं किसी भी न्यायिक कार्यवाही में उत्पन्न।

वर्तमान मामले में, उस चरण को ध्यान में रखते हुए जिस पर

उपरोक्त मुद्दे तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में तैयार किए गए हैं।

उसी के आसपास, हमारा विचार है कि उपरोक्त

प्रश्नों का उत्तर केवल बाद के चरण में प्राप्त होना चाहिए कार्यवाही। इस स्तर पर अनिवार्य आवश्यकता यह है कि

संवैधानिक संतुलन और परस्पर विरोधी व्यवस्था बनाए रखना और प्रतिस्पर्धी अधिकार जिनका हमारे सामने प्रचार किया गया है। इस तरह

एक अंतरिम अभ्यास कुछ श्रीमान्थ बालासाहिब पटेल v को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण हो गया है।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

समय सीमा अभ्यास (ओं) जो कार्य में है

कर्नाटक विधानसभा, विशेष रूप से, नो ट्रस्ट

वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रस्ताव, जो हमें बताया गया है इस पर 18 जुलाई, 2019 को विचार किया जाना है। इनमें

परिस्थितियों में, प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करना होगा

एक उचित अंतरिम आदेश द्वारा, जो हमारे अनुसार,

15 सदस्यों द्वारा इस्तीफे के अनुरोध पर निर्णय लें। सदन की ऐसी समय सीमा के भीतर जो माननीय

इस न्यायालय और माननीय का कोई निर्देश या अवलोकन अध्यक्ष को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए।

नियम 202 के साथ पठित अनुच्छेद 190 के अनुसार कर्नाटक में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम

शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई विधान सभा

संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत।

इस्तीफे के मुद्दे पर माननीय अध्यक्ष का आदेश,

और पारित होने पर, न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अगले आदेश तक 15 सदस्य

सभा के, में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए सदन के चल रहे सत्र की कार्यवाही और एक विकल्प

उन्हें दिया जाना चाहिए कि वे उक्त में भाग ले सकें

कार्यवाही या उससे बाहर रहने का विकल्प चुनना। हम आदेश देते हैं।

तदनुसार "।

(जोर दिया गया)

13. 2019 की अयोग्यता याचिका संख्या 7 आर के खिलाफ दायर की गई थी।

2019 की 16.07.2019 और अयोग्यता याचिका संख्या 8 पर श्रीमंत बालासाहेब पटेल के खिलाफ 20.07.2019 पर शंकर दायर किया गया था। इसके बाद अध्यक्ष ने 18.07.2019 से 20.07.2019 के बीच सभी याचिकाकर्ताओं को 23.07.2019 और 24.07.2019 के लिए

निर्धारित सुनवाई की तारीख पर उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए लंबित अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में आकस्मिक नोटिस जारी किए। नोटिस में उन त्याग पत्रों का उल्लेख नहीं किया गया था जो 15 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जो इस न्यायालय के समक्ष दायर 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 के पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उपरोक्त नोटिसों में दी गई अवधि बहुत कम थी और वास्तव में उनमें से कुछ को जवाब देने के लिए समय के भीतर नोटिस भी नहीं मिले थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. जबकि उपरोक्त अयोग्यता याचिकाएं/त्याग पत्र लंबित थे, आई. एन. सी. ने 20.07.2019 पर फिर से एक व्हिप जारी किया था जिसमें कहा गया था कि

विधान सभा के उनके सदस्य 22.07.2019 पर सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे।

15. अंततः विश्वास मत पर विचार किया गया।

23.07.2019 . 17 याचिकाकर्ता सदन में उपस्थित नहीं हुए। परिणामस्वरूप, श्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में आई. एन. सी. और जे. डी. (एस.) गठबंधन सरकार अल्पमत में थी, जिसके परिणामस्वरूप श्री कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

16. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, अध्यक्ष ने 25.07.2019 और 28.07.2019 पर अयोग्यता याचिका में पांच विवादित आदेश पारित किए।

नं. 1 , 3 , 4 , 5 , 7 और 2019 का 8. इन आदेशों में, अध्यक्षः

ए। सदस्यों के इस्तीफे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि

वे स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं थे

बी। सभी याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित किया, और

सी। 15 तारीख के अंत तक याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित किया गया

विधान सभा का कार्यकाल

17. उपरोक्त अयोग्यताओं से व्यथित सभी याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

B. सामग्री

सीखी हुई वरिष्ठ सलाहकार श्री। मुकुल डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं के स्वयं पर रोहतगी (सी)

एनओएस। 997 , 998 , 1006 और 2019 का 1007

● विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि सदन के सदस्यों को इस्तीफा देने का अक्षम्य अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष ने अपने संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर्तव्य से परे जाकर सदस्यों के उद्देश्य पर एक राय दी और इस्तीफों को गलत तरीके से खारिज कर दिया।

उनके द्वारा बोली लगाई गई। इसके विपरीत, स्पीकर को इस्तीफे को स्वीकार करना पड़ता है जब इसे प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाता है।

सही प्रारूप।

- दसवीं अनुसूची के तहत इस्तीफे और अयोग्यता के बीच संबंध की व्याख्या करते हुए

संविधान, श्री रोहतगी ने जोर देकर कहा कि एक बार इस्तीफा दे दें वैध रूप से निविदा दी गई थी, एन. टी. एच. बालासाहेब पैटल V का कोई सवाल ही नहीं था।

माननीय वक्ता, एके लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक को अयोग्य ठहराते हैं सदस्य। दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता केवल उस व्यक्ति के संबंध में थी जो सदस्य था, और अन्यथा नहीं।

• विद्वान वरिष्ठ वकील ने वैधता को चुनौती दी

अयोग्यता आदेश प्रस्तुत किया गया कि इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, यदि न्यायालय को लगता है कि आदेश विकृत है, दिमाग के गैर-अनुप्रयोग का परिणाम है, या इसमें है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, उपरोक्त तीनों दुर्बलताएँ

अध्यक्ष के अयोग्यता आदेश में बनाए जाते हैं।

• अध्यक्ष ने 3-4 दिनों में वापस करने योग्य "आकस्मिक" नोटिस जारी करना कर्नाटक विधानसभा के तहत 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता का उल्लंघन है।

(दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता) नियम, 1986। यह अध्यक्ष के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के लिए बुरा बनाता है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ताओं ने केवल समय मांगा था।

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय।

● अंत में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार ढंग से कहा कि भले ही अयोग्यता को कानून में वैध माना जाता है, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं के आगामी चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

दसवें के तहत चुनाव लड़ने के अधिकार पर रोक

संविधान की अनुसूची।

वरिष्ठ सलाहकार का सुंदरम चालू

डब्ल्यू. पी. में ऑल ऑफ़ पिटीशनर (ग) नहीं। 1000 ओ.

. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में दिया गया त्यागपत्र त्यागपत्र था

सदन से और पार्टी से नहीं।

● यदि अनुच्छेद 190 के तहत इस्तीफा दिया जाता है, तो अध्यक्ष की भूमिका उसकी स्वैच्छिकता और वास्तविकता निर्धारित करने की सीमा तक सीमित है। "स्वैच्छिकता" के बारे में अध्यक्ष की जांच इस सवाल तक सीमित है कि क्या सदस्य था

इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया या नहीं।

सी. आर. के बारे में पूछताछ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" वास्तविकता "केवल इस बात से संबंधित है कि इस्तीफा पत्र जाली था, या वास्तव में सदस्य द्वारा नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, जब कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपता है और अध्यक्ष को सूचित करता है कि यह स्वैच्छिक और वास्तविक है, तो अध्यक्ष को तुरंत त्याग पत्र स्वीकार करना पड़ता है।

• विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि

इस्तीफे के पीछे का मकसद कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 190 (3) का प्रावधान अध्यक्ष द्वारा जांच के दायरे को केवल स्वैच्छिक रूप से सीमित करता है।

और ईमानदारी।

डब्ल्यू. पी. में याचिका दायर करने के बारे में वरिष्ठ सलाहकार वी. गिरी ने सीखा। (ग) नहीं। 1003 2019 का

• विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर अलग किया कि उन्होंने कभी अपना इस्तीफा नहीं दिया था। इसके बावजूद, उनके खिलाफ एक अलग अयोग्यता आदेश पारित किया गया था।

• वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता केपीजेपी का था। हालांकि पार्टी ने कांग्रेस के साथ विलय करने का फैसला किया था और अध्यक्ष को इसके बारे में सूचित किया था, लेकिन विलय का कोई औपचारिक आदेश नहीं था। जब आई. एन. सी. द्वारा व्हिप जारी किया गया था, तो याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष से उन्हें विपक्षी सदस्यों के साथ एक अलग सीट प्रदान करने का अनुरोध किया। लेकिन अध्यक्ष ने याचिकाकर्ता को आई. एन. सी. से संबद्ध होने की मान्यता देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील लाए गए

न्यायालय के नोटिस में उनकी पार्टी की कार्यकारी समिति द्वारा जारी सूचना पत्र में उन्हें विपक्ष के पक्ष में रहने का निर्देश दिया गया है। इसलिए, विलय के किसी औपचारिक आदेश के बिना, याचिकाकर्ता बाध्य नहीं था

आईएनसी द्वारा जारी व्हिप द्वारा।

डब्ल्यू. पी. में याचिका दायर करने के बारे में वरिष्ठ सलाहकार वी. गिरी ने सीखा। (ग) नहीं। 992 2019 का

• याचिकाकर्ता के मामले को तथ्यात्मक रूप से अलग किया जा सकता है।

अधिकांश अन्य याचिकाकर्ताओं के मामले से क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था।

जब व्हिप जारी किया गया था, तो रिमंथ बालासाहेब पाटिल v. माननीय वक्ता, रनताका लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

प्रचलित चिकित्सा स्थितियों के कारण, याचिकाकर्ता को तत्काल मुंबई की यात्रा करनी पड़ी, जिसके अनुसार वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहे।

• यद्यपि इन तथ्यों को सहायक चिकित्सा अभिलेखों के साथ अध्यक्ष को सूचित किया गया था, अध्यक्ष ने पारित किया

याचिकाकर्ता को उचित सूचना दिए बिना जल्दबाजी में अयोग्यता का आदेश। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री पर विचार किए बिना और बाहरी परिस्थितियों पर भरोसा किए बिना अयोग्यता का ऐसा एकतरफा आदेश असमर्थनीय है।

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं के बारे में वरिष्ठ सलाहकार ए. के. गांगुली ने सीखा। (ग) नहीं। 1005 2019 का

इस न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 में अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को सदन के चल रहे सत्र की कार्यवाही में भाग लेने या बाहर निकलने की स्वतंत्रता प्रदान की। लेकिन उपरोक्त आदेश को राजनीतिक दल ने नजरअंदाज कर दिया

याचिकाकर्ताओं को व्हिप जारी करके, और अध्यक्ष द्वारा उसी पर भरोसा करके अयोग्य घोषित करने के लिए याचिकाकर्ता।

. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के इस्तीफे की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। पीकर द्वारा दिया गया अयोग्यता का आदेश दुर्भावनापूर्ण है और किसी भी ठोस द्वारा समर्थित नहीं है।

कारणों से।

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील के. वी. विश्वनाथन। (ग) 2019 की सं. 997

• विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 11.02.2019 पर, 4 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई थी

डॉ. उमेश यादव ने अयोग्यता याचिका दायर की त्यागपत्र जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।

हालांकि, अध्यक्ष ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र को अयोग्यता याचिका के पारित होने तक लंबित रखा।

तय किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

• इस अदालत के इस्तीफे पर निर्णय लेने के अध्यक्ष को निर्देश देने के बावजूद, अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिका पर निर्णय तक मामले को लंबित रखा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि अध्यक्ष ने गलत तरीके से कार्रवाई पर विचार किया। इस न्यायालय के दिनांक 17.07.2019 के आदेशों के अनुसार,

जिसमें याचिकाकर्ताओं को सदन की चल रही कार्यवाही में भाग नहीं लेने की स्वतंत्रता दी गई थी।

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता के बारे में सीखी गई वरिष्ठ सलाहकार साजन पूवय्या (ग) नहीं। 1001 2019 का

याचिकाकर्ता आई. एन. सी. के सदस्य थे जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ भूमि लेन-देन के विरोध में आई. डी. 1 पर इस्तीफा दे दिया था। हालाँकि, उन्हें अध्यक्ष द्वारा अन्य अयोग्य याचिकाकर्ताओं के समान समूह में रखा गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि अयोग्यता आदेश में सर्वव्यापी बयान और आरोप दिए गए हैं और उन्हें दस्तावेजों पर विचार किए बिना पारित किया गया था

याचिकाकर्ता द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया।

• विद्वान वरिष्ठ वकील ने पहले की बात को दोहराया

यह तर्क कि याचिकाकर्ता के कार्य लिखित रूप में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांकित अंतरिम आदेश के आधार पर संरक्षित हैं

2019 की याचिका (सी) संख्या 872।

वक्ता के बहलफ पर विद्वान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताः

. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि सदस्य

सदन को इस्तीफा देने का अधिकार है।

• विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यह मामला अध्यक्ष को भेजे जाने के लिए एक उपयुक्त मामला था

नई सुनवाई के लिए।

सीखी हुई वरिष्ठ सलाहकार कपिल सिब्बल

बेहलफ ऑफ रेस्पॉन्डेंट नोस। 2 और डब्ल्यू. पी. में 3। (ग) एन. ओ. एस. 992 , 997 , 998 , 1000 , 1001 , 1003 , 1006 और 2019 का 1007 बालासाहेब पटेल बनाम।

माननीय वक्ता, एक विधायी सदस्य [एन. वी. रमना, जे.]

विद्वान वरिष्ठ वकील ने सबसे पहले कहा कि अयोग्यता के विवादित आदेशों को केवल अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है न कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि ये केवल वैधानिक अधिकारों से जुड़े मामले हैं। कोई कथित उल्लंघन नहीं है

मौलिक अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र के आह्वान को अनिवार्य करते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, जिसके खिलाफ उपाय केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर दिया कि

याचिकाकर्ताओं का यह साबित करने के लिए आचरण कि उनके इस्तीफे

प्रेरित हुए। वकील ने इस न्यायालय से सदस्यों के पूर्व और पूर्व दोनों के आचरण पर ध्यान देने का आग्रह किया।

बाघ। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया कि हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने बार-बार तर्क दिया है कि [2019] 16 एस. सी. आर. के नियम।

अध्यक्ष के क्रम में विकृति। इसके अलावा, जब विश्वास प्रस्ताव के संबंध में व्हिप जारी किया गया था, तो सदस्य इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। याचिकाकर्ताओं ने व्हिप का उल्लंघन करके स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। यह मानते हुए भी कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व की रिट कार्यवाही में दी गई स्वतंत्रता सही थी, सदस्यों के विधानसभा में भाग लेने के लिए गैर-मजबूरी के संबंध में, ऐसे निर्णायक बिंदु पर विधानसभा में भाग लेने की कानूनी आवश्यकता थी। विद्वान।

वरिष्ठ वकील ने सामान्य के बीच अंतर किया चाबुक और वे जो अधिक आवश्यक हैं, जो सरकार के अस्तित्व के लिए आवश्यक थे-जैसे

जो विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव, या यहाँ तक कि बजट से संबंधित व्हिप से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्हिप का पालन स्वयं किया जाना चाहिए, और यह कि कोई सदस्य उपस्थित होने/मतदान करने से इनकार नहीं कर सकता है

एक ही।

विद्वान वरिष्ठ वकील इस्तीफे के परिणामों के बीच अंतर करने के लिए आगे बढ़े

अयोग्यता। उन्होंने कहा कि दसवीं अनुसूची का एकमात्र उद्देश्य बड़े पैमाने पर दलबदल को रोकना है। उसी के आलोक में, याचिकाकर्ताओं को उपचुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से अयोग्यता का प्रभाव कम हो जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के तहत अयोग्य उम्मीदवारों के नामांकन की स्वीकृति के लिए एक स्पष्ट बाधा है। इसलिए अयोग्य ठहराए गए सदस्यों को नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि अध्यक्ष के पास दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जिसमें अध्यक्ष की यह आदेश देने की शक्ति भी शामिल है कि अयोग्य ठहराए गए सदस्य एन. टी. एच. बालासाहब पाटिल v नहीं होंगे।

माननीय वक्ता, एके लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

पुनः निर्वाचन के लिए खड़े होने के योग्य, खाली होने वाली सीट पर,

सदन के कार्यकाल के अंत तक।

. हालाँकि, चूंकि इस मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं

त्यागपत्र और अयोग्यता की समानांतर कार्यवाही पर निर्णय लेने की अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में, "स्वैच्छिकता" और "वास्तविकता" के बारे में जांच करने की अध्यक्ष की शक्ति,

"स्वैच्छिक" और "वास्तविक" शब्द, अनुच्छेद के तहत जांच के दौरान विचार की जाने वाली प्रासंगिक सामग्री

190 (3) संविधान की, जांच की सुसंगत अवधि,

आदि, उसी पर विचार करने की आवश्यकता है संविधान पीठ।

वरिष्ठ सलाहकार डॉ। राजीव धवनबीएचएएलएफ ऑफ रेस्पॉन्डेंट नं. 2 आई. एन. डब्ल्यू. पी. (सी) नं.

2019 का

- विद्वान वरिष्ठ वकील ने आदेश का बचाव किया

यह कहकर अयोग्यता कि अध्यक्ष अभ्यास करता है एक न्यायनिर्णायक में कार्य करते समय शक्ति की विस्तृत श्रृंखला

क्षमता और उसी को कम नहीं किया जाना चाहिए

यांत्रिक व्यायाम। इसलिए, निर्णय लेते समय

इस्तीफे के कार्य के पीछे "वास्तविकता" और "स्वैच्छिकता" के बारे में मुद्दों पर, अध्यक्ष इस्तीफे की ओर ले जाने वाली घटनाओं की श्रृंखला को देख सकते हैं ताकि

मकसद तय करें। उपरोक्त निवेदन के अनुसार, वकील ने कहा कि तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि अध्यक्ष का आदेश विकृति से ग्रस्त है या वही है।

दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित किया गया था।

. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि वहाँ

इस्तीफे का कोई अक्षम्य अधिकार मौजूद नहीं है क्योंकि ये

याचिकाकर्ता विधान सभा के सदस्यों के रूप में अपनी संवैधानिक क्षमता में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा,

वर्तमान मामले में दिए गए इस्तीफे नहीं हो सकते हैं त्यागपत्र सरलीकरण के रूप में योग्य, बल्कि वे संकेत देते हैं

दलबदल के कारण त्यागपत्र और इस तरह के

स्थिति, अध्यक्ष आंखें नहीं मूंद सकते थे

याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीखी हुई वरिष्ठ सलाहकार देवदत्त कामत

जिम्मेदार लोगों के स्वयं पर। 2 और डब्ल्यू. पी. में 3। (ग) एन. ओ. एस. 992 , 997 , 998 , 1000 , 1001 , 1003 , 1006 और 2019 का 1007

• विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने विचारों को दोहराया

अन्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा ऊपर व्यक्त किया गया और अध्यक्ष के आदेशों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस्तीफों पर निर्णय लेकर इस न्यायालय के आदेशों का विधिवत पालन किया था

संविधान के अनुच्छेद 190 के तहत। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 2019 की रिट याचिका (सी) No.872 में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित दिनांक 11.07.2019 और 17.07.2019 के आदेशों में केवल अध्यक्ष से अपने विवेक के अनुसार और उस समय सीमा के भीतर इस्तीफों पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है जो वह उचित समझते हैं। स्वीकृति या अस्वीकृति

त्यागपत्र इस शर्त पर निर्भर है कि

स्वैच्छिक और वास्तविक हैं।

• इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा पारित अयोग्यता आदेश उन परिस्थितियों की समग्रता पर आधारित थे जिनमें याचिकाकर्ताओं का आचरण संदिग्ध था। की कार्यवाही से याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति

सदन, जब उनकी सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी, स्पष्ट रूप से पार्टी के हित के खिलाफ कार्य करने के उनके इरादे को दर्शाता है। अयोग्यता के आदेश संचयी तथ्यों पर आधारित थे, जिसमें उपस्थित रहने के लिए बार-बार नोटिस के बावजूद याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति और गठबंधन सरकार के पतन के लिए भाजपा के साथ मिलकर उनकी कार्रवाई और आचरण शामिल थे।

वरिष्ठ सलाहकार के. शशिकलन शेट्टी ने स्वयं जिम्मेदार लोगों के बारे में सीखा। 2 और 3 डब्ल्यू. पी. में (ग) एन. ओ. एस. 992 , 997 , 998 , 1000 , 1001 , 1003 , 1006 और 2019 का 1007

● विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्कों का समर्थन किया

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल द्वारा प्रस्तुत

सिब्बल, और कहा कि अयोग्यता आदेश नहीं हो सकता है

इस न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाए।

एंथ बालासाहिब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, एके लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

. इसके अलावा, दसवीं अनुसूची विलय के पहलू पर स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने बताया कि विलय के तथ्य को आर. शंकर को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 1003 में याचिकाकर्ता]।

वरिष्ठ सलाहकार राकेश द्विवेदी

[अखिल भारतीय चुनाव आयोग

. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह लगातार अभ्यास का विषय रहा है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्य अगले चुनावों में भाग ले सकते हैं। किसी विशेष अवधि के लिए कोई रोक नहीं है

के तहत अयोग्यता के संबंध में कानून द्वारा प्रत्याशित

दसवीं अनुसूची।

- उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष की शक्ति केवल

अयोग्यता याचिका के निर्णय तक सीमित।

कोई परिणामी कार्रवाई जो इस प्रकार से प्रवाहित होती है

अयोग्यता उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अध्यक्ष, अपनी इच्छानुसार, कोई विशेष कार्यकाल प्रदान नहीं कर सकता है -

अयोग्यता। अयोग्यता, और उसके परिणाम, दंडात्मक होने के कारण, कानून द्वारा स्वीकृत किए जाने चाहिए।

- जब कोई सदस्य दसवें के तहत अयोग्य हो जाता है

अनुसूची, एक परिणामी रिक्ति उत्पन्न होती है। हालाँकि, अध्यक्ष को यह तय करने की अनुमति नहीं है कि उक्त रिक्ति के लिए कौन चुनाव लड़ सकता है।

एस. एस. यू. एस.जिन तर्कों का प्रतिवाद किया गया है, उनके आधार पर निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

1. क्या आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका

अनुच्छेद 32 के तहत अध्यक्ष बनाए रखने योग्य है?

2. क्या अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किए जाने का आदेश

इस्तीफ़ा देना और याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराना

संविधान के अनुसार?

3. भले ही अध्यक्ष का अयोग्यता का आदेश वैध हो, क्या अध्यक्ष के पास अयोग्य घोषित करने की शक्ति है

शेष कार्यकाल के लिए सदस्य?

4. क्या उठाए गए मुद्दों के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता है

बड़ी बेंच?

घ. लिखित याचिका की अनिवार्यता

19. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान वरिष्ठ वकील,

श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय के पास इस मामले से निपटने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने यह कहते हुए उपरोक्त तर्क का समर्थन किया है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है, विशेष रूप से तब जब संसद या विधानसभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत 'व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता के अधिकार' का आह्वान नहीं कर सकते हैं।

20. इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा लंबी रही है।

इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्थापित। जहाँ कानून अपीलों के पदानुक्रम का प्रावधान करता है, पक्षकारों को इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेने से पहले उपलब्ध उपायों का उपयोग करना चाहिए [देखें यू. पी. स्टेट स्पिनिंग कंपनी। लिमिटेड वी. आर. एस. पांडे (2005) 8 एस. सी. सी. 264]। साथ ही, इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह सिद्धांत कानून का नियम नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से नीति, सुविधा और विवेकाधिकार का नियम है और इस प्रकार एक मजबूरी नहीं है और जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विफलता है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र वारंट के बिना हैं, यह न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, भले ही पक्षों के पास अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय हों। [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। मोहम्मद नूह, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 86; हरबंसलाल साहनिया बनाम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2003) 2 एस. सी. सी. 107]

21. उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने

के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी

किहोतो होल्लोहन बनाम पर निर्भरता रखते हुए संविधान। ज़चिल्लू, 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651, जिसमें इस न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार करते हुए कहाः

" 109. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में और

पैराग्राफ 6 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा संविधान के अनुच्छेद 136 और 226 और 227 में

अध्यक्ष/सभापति द्वारा पारित आदेश के संबंध में पैराग्राफ 6 केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों तक ही सीमित रहेगा। ,

संवैधानिक जनादेश, दुर्भावना के उल्लंघन पर आधारित दुर्बलताएँ, प्राकृतिक न्याय और विकृति के नियमों का पालन न करना।

(जोर दिया गया)

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

22. हम ध्यान दे सकते हैं कि रिट अधिकार क्षेत्र मूल्यवान अधिकारों में से एक है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है, जो अपने आप में संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। निर्णय लेने के बाद किहोतो होल्लोहन मामला (ऊपर), अध्यक्ष, शक्ति का प्रयोग करते हुए

अयोग्य ठहराना एक न्यायाधिकरण है और आदेशों की वैधता न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। किहोतो होल्लोहन मामले (उपरोक्त) में निर्णय के अवलोकन पर, हमें इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोई स्पष्ट या अंतर्निहित बाधा नहीं मिलती है।

23. याचिकाकर्ता प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।

न्याय और निष्पक्ष सुनवाई का उनका अधिकार। प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के सिद्धांतों का पता संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के अधिकार और कानून के शासन से लगाया जा सकता है, जिसे अन्य मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा जा सकता है। भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248]।

24. उज्जम के मामले में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ

बाई वी। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1621 ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र तब उपलब्ध होता है जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है। नरेश श्रीधर के मामले में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार की पुष्टि की थी।

मिराजकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1, निम्नलिखित में शर्तेंः

" 54. से निपटने में इस न्यायालय की अधिकारिता का दायरा

अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं की जांच एक विशेष पीठ द्वारा की गई थी

इस न्यायालय की ओर से उज्जम बाई बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य (1963) 1

एससीआर 778]। यह निर्णय दिखाएगा कि यह सामान्य आधार था।

न्यायालय के समक्ष कि तीन वर्गों के मामलों में एक प्रश्न मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन उत्पन्न हो सकता है; और यदि ऐसा होता है

उत्पन्न होने पर, अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन होगा। ये मामले इस प्रकार हैंः

(1) जहाँ किसी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है जो अधिकार से बाहर है

संविधान; (2) जहां कानून अधिकार के भीतर है लेकिन कार्रवाई लिया गया अधिकार क्षेत्र के बिना है; और (3) जहां कार्रवाई की गई है

प्रक्रियात्मक रूप से अधिकार से परे है जहाँ एक अर्ध-न्यायिक

न्यायिक रूप से कार्य करने के दायित्व के तहत प्राधिकरण एक पारित करता है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला आदेश।

(जोर दिया गया)

25. अयोग्यता आदेशों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने

अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। [2019] 16 एस. सी. आर. की तीन न्यायाधीशों की पीठ।

इस न्यायालय ने जगजीत सिंह बनाम. हरियाणा राज्य, (2006) 11 एस. सी. सी. 1 ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के आदेश को चुनौती इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उपलब्ध है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 11. अध्यक्ष, सदस्यों को अयोग्य ठहराने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और हालांकि इस प्रकार आदेशों की वैधता

पारित किए जाने पर इस के रिट अधिकार क्षेत्र में सवाल उठाया जा सकता है

न्यायालय या उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है

किहोटो में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित

होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू [1992 सप (2) एस. सी. सी. 651]। ऑर्डर कर सकते हैं

अति अधिकार या दुर्भावना के आधार पर चुनौती दी जाए या बाहरी के आधार पर शक्ति के रंगीन अभ्यास में बनाया गया था

और अप्रासंगिक विचार। यदि नियम होते हैं तो आदेश अमान्य होगा।

प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जाता है। ”

(जोर दिया गया)

26. संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा किया जा सकता है और

उस पर बहस जो दर्शाती है कि यह न्यायालय शक्ति के प्रयोग की वैधता की जांच कर सकता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 32 द्वारा इस न्यायालय को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और संसद का कोई भी अधिनियम इसे निरस्त या छीन नहीं सकता है, सिवाय इसके कि अनुच्छेद 32 द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का अनुज्ञेय क्षरण किया जाए। संवैधानिक योजना के मूल सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र के तय किए गए प्रस्ताव हैं।

27. सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में इस न्यायालय को, और

संवैधानिक कार्यकर्त्ताओं के कृत्यों की न्यायिक रूप से समीक्षा करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए हमेशा लागू न्यायिक रूप से निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य किया है। इसकी जांच की है।

तथ्य और कानून दोनों के प्रश्न, जब तक कि उसे ऐसा करने की शक्ति दी गई है। संविधान के सभी संरक्षकों द्वारा कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन में यह कर्तव्य शामिल है कि वे अन्य संवैधानिक अंगों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके अपनी संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन न करें।

28. किसी भी मामले में, हम ध्यान देते हैं कि आदेश को सीधे चुनौती देकर

अनुच्छेद 32 के तहत, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के तहत परिकल्पित न्यायिक पदानुक्रम को पीछे छोड़ दिया है [तमिलनाडु प्रदूषण श्रीमान्थ बालासाहिब पटेल v. का संदर्भ लें।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

नियंत्रण बोर्ड v. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 221]।

29. याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, हम उसकी सराहना नहीं करते हैं। अन्य कारणों में, हम

हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए विशिष्ट तथ्यों के कारण वर्तमान मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़े, जिसमें कुछ वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 में इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। हमने 25.09.2019 और 26.09.2019 पर कुछ समय तक मामले की सुनवाई की थी, जब सभी पक्षों के वकील की सहमति से मामले को अंतिम सुनवाई के लिए तय किया गया था। चूंकि इस बीच काफी समय बीत चुका है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक ही अभ्यास को दोहराया न जाए, हमारे पास गुण-दोष के आधार पर इन मामलों की सुनवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

30. इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय के पास रिट अधिकार क्षेत्र के तहत अयोग्यता के मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र है, एक पक्ष

अयोग्यता आदेश को चुनौती देने के लिए पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक है क्योंकि यह उचित, प्रभावी और त्वरित उपाय होगा

इस तरह के मुद्दों से निपटें। इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के सुविचारित न्यायिक फैसले का लाभ मिलेगा। यदि पक्षकार अभी भी व्यथित हैं, तो वे इस न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। 31. यह सुनिश्चित करने के बाद कि इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिकाओं के विषय से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, न्यायिक समीक्षा की सीमा से संबंधित प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है, जब हम अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों की वैधता, याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराने और उनके इस्तीफों को अस्वीकार करने से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण और चर्चा करते हैं।

ई. सम्मानों का त्याग

32. वर्तमान मामले में 17 याचिकाकर्ताओं में से 15 ने अयोग्यता याचिकाओं से पहले सदन से अपना इस्तीफा दे दिया था

2019 की याचिका संख्या 5, और अयोग्यता में 25.07.2019 दिनांकित आदेश 2019 की याचिका संख्या 1 ने याचिकाकर्ताओं के इस्तीफे को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि वे स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं थे।

33. वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे को अस्वीकार करना उसी तरह उचित था केवल अयोग्यता के उद्देश्य को विफल करने के लिए दिया गया था।

उनके

पास [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया कि न्यायालय के समक्ष विचार इस तथ्य पर विचार करते हुए सीमित है कि याचिकाकर्ताओं के इस्तीफे के वास्तविक और उद्देश्य को संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) के तहत उचित रूप से निपटाया गया था। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) के तहत आवश्यक जांच सीमित है

" स्वैच्छिकता "और" वास्तविकता ", और इस्तीफे का उद्देश्य या कारण नहीं।

34. पहला सवाल जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, वह अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे से संबंधित है। प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर तर्क दिया है कि न्यायालय इस पहलू में नहीं जा सकता है क्योंकि इस्तीफे की स्वीकृति/अस्वीकृति अध्यक्ष की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित है, जो न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। 35. हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते हैं। यह सच है कि 33 वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक स्थिति को बदल दिया

अध्यक्ष को इस्तीफे को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्रदान करना। हालांकि, इस तरह का विवेकाधिकार अयोग्य नहीं है, क्योंकि इस्तीफे को केवल खारिज किया जा सकता है

यदि अध्यक्ष "संतुष्ट है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है"। इस्तीफे "स्वैच्छिक" या "वास्तविक" थे या नहीं, इसका निर्धारण अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश पर आधारित नहीं हो सकता है, इसके बजाय यह उनकी "संतुष्टि" पर आधारित होना चाहिए। भले ही संतुष्टि व्यक्तिपरक हो, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो यह दर्शाती है कि

त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है। जब कोई सदस्य अपनी बोली लगाता है लिखित रूप में इस्तीफा देते हुए, अध्यक्ष को यह पता लगाने के लिए तुरंत जांच करनी चाहिए कि क्या सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ने का इरादा रखता है। द.

जाँच संविधान के प्रावधानों और सदन के लागू नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अध्यक्ष की यह संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

36. अगला तार्किक प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है

संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) में "स्वैच्छिक" और "वास्तविक" शब्दों के दायरे से संबंधित है। 33 वें संविधान से पहले

अनुच्छेद 190 (3) (बी) का संशोधन इस प्रकार हैः

" (3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो

(ए)।

(ख) अपने हाथ के नीचे लिख कर अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है।

अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो। श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

37. 33 वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद में संशोधन किया

190 (3) (ख) संविधान का और एक परंतुक जोड़ा गया। संशोधित खंड इस प्रकार हैः

" (3) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो

(ए)।

((ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हाथ के नीचे लिख कर अपने पद से इस्तीफा दे देता है और उसका इस्तीफा अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

अध्यक्ष, यथास्थिति, उनका स्थान होगा।

खाली हो जानाः

अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हैं कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, वह ऐसा त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेंगे।

38. इस प्रकार, 33 वें संविधान संशोधन से पहले,

अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके प्रभावी होने के लिए अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे को स्वीकार करने की आवश्यकता हो। मूल रूप से, स्थिति यह थी कि एक विधान सभा का सदस्य एक द्वारा पद से इस्तीफा दे सकता है

एकतरफा कार्य, और इस्तीफे की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। [भारत संघ v का उल्लेख करें। गोपाल चंद्र मिश्रा, (1978) 2 एस. सी. सी. 301; मोती राम बनाम। परम देव, (1993) 2 एससीसी 725]

39. सबसे पहले, एक प्रारंभिक सिद्धांत के रूप में, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विधानमंडल के सदस्य को इस्तीफा देने का अधिकार है। कुछ भी नहीं

संविधान या कोई भी कानून उन्हें इस्तीफा देने से रोकता है। एक सदस्य विभिन्न कारणों से इस्तीफा देने का विकल्प चुन सकता है और उसके कारण अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देना उसका एकमात्र विशेषाधिकार है। यदि कोई निर्वाचित सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 33 वाँ संविधान संशोधन इस स्थिति को नहीं बदलता है। इसके विपरीत, यह सुनिश्चित करता है कि उनका इस्तीफा उनकी स्वतंत्र इच्छा के कारण है।

40. दूसरा, 33 वें संविधान संशोधन की आवश्यकता है

अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति। इस प्रकार, केवल अध्यक्ष को एक त्याग पत्र संबोधित करने से सीट अपने आप खाली नहीं हो जाएगी। सीट खाली होने के लिए अध्यक्ष को इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार करना पड़ता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अध्यक्ष के पास इस्तीफे को अस्वीकार करने के लिए सीमित विवेकाधिकार है। यदि इस्तीफा [2019] 16 एस. सी. आर. है।

स्वैच्छिक या वास्तविक, अध्यक्ष को त्यागपत्र स्वीकार करना होता है और उसी के बारे में सूचित करना होता है।

41. तीसरा, अध्यक्ष इस्तीफे को अस्वीकार कर सकते हैं, यदि अध्यक्ष

इस बात से संतुष्ट है कि इस्तीफा "स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं" था। इसमें हमारा ध्यान कर्नाटक विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अध्याय 22, नियम 202 (2) की ओर आकर्षित किया गया है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः

" (2) यदि कोई सदस्य त्याग पत्र सौंपता है

अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उन्हें सूचित करते हैं कि त्यागपत्र है स्वैच्छिक और वास्तविक और अध्यक्ष के पास कोई जानकारी नहीं है या

इसके विपरीत ज्ञान, और यदि वह संतुष्ट है, तो अध्यक्ष कर सकता है

तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें। "

(जोर दिया गया)

नियम में कहा गया है कि अध्यक्ष को इस पर निर्णय लेना होगा

स्वैच्छिकता और वास्तविकता से संतुष्ट होकर तुरंत उन्हें संबोधित त्याग पत्र। नियम को सामंजस्य में पढ़ें

संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) और इसके प्रावधान के साथ, यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष की संतुष्टि प्राप्त जानकारी पर आधारित होनी चाहिए।

और ऐसी पूछताछ करने के बाद जो वह उचित समझता है। उपरोक्त पहलुओं की बारी-बारी से जांच की आवश्यकता नहीं है और अध्यक्ष, जो सदन के प्रमुख हैं, के अनुभव के साथ उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी जांच करें जो आवश्यक हो और एक आदेश पारित करें। यदि कोई सदस्य उसके सामने उपस्थित होता है और देता है

लिखित में एक पत्र, एक जांच एक सीमित जांच हो सकती है। लेकिन अगर उसे जानकारी मिलती है कि कोई सदस्य जबरदस्ती से अपना इस्तीफा दे रहा है, तो वह यह पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच शुरू करने का विकल्प चुन सकता है कि क्या इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक था।

42. चौथा, हालांकि "वास्तविक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है,

इस संदर्भ में, इसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि एक लेखन जिसके द्वारा एक सदस्य इस्तीफा देने का विकल्प चुनता है, वह स्वयं सदस्य द्वारा है और किसी तीसरे पक्ष द्वारा जाली नहीं है। "वास्तविक" शब्द केवल त्याग पत्र की प्रामाणिकता से संबंधित है।

43. इसी तरह, "स्वैच्छिक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें

संदर्भ में, इसका मतलब होगा कि इस्तीफा धमकी, बल या जबरदस्ती पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह 33 वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट है जो नीचे दिया गया हैः

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

1. संविधान के अनुच्छेद 101 (3) (बी) और 190 (3) (बी) अनुमति देते हैं।

संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी सदन का सदस्य

किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा लिखित रूप में अपनी सीट से इस्तीफा देना

अध्यक्ष या सभापति को संबोधित उनका हाथ, जैसा भी मामला हो

हो सकता है। हाल के दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं

जहाँ दंडात्मक उपायों का सहारा लिया गया है

विधान सभा के सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना उनकी सदस्यता, यदि इसकी जाँच नहीं की जाती है, तो यह हो सकता है

विधानमंडलों के लिए उनके अनुसार कार्य करना मुश्किल

संविधान के प्रावधान। इसलिए यह प्रस्तावित है कि

एक आवश्यकता लागू करने के लिए उपरोक्त दो अनुच्छेदों में संशोधन करें

सभापति या सभापति द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति

और यह प्रावधान करने के लिए कि त्यागपत्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा

अध्यक्ष या सभापति यदि ऐसा करने के बाद संतुष्ट हैं

जाँच जैसा कि वह उचित समझता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं है या वास्तविक।

(जोर दिया गया)

इसलिए अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह इस्तीफे को अस्वीकार कर दे यदि ऐसा है

त्यागपत्र जबरदस्ती, धमकी या बल पर आधारित होता है।

44. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि

एक अध्यक्ष, अपनी जांच के एक हिस्से के रूप में, सदस्य के उद्देश्य में भी जा सकता है और उसके इस्तीफे को अस्वीकार कर सकता है यदि यह राजनीतिक दबाव में किया गया था।

हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) की भाषा अध्यक्ष को इस्तीफे के उद्देश्य की जांच करने की अनुमति नहीं देती है। जब कोई सदस्य राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दे रहा हो

दबाव, वह अभी भी स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है। एक बार जब सदस्य अपनी बोली लगाता है

त्यागपत्र देना "स्वैच्छिक" होगा और यदि लेखन का श्रेय उन्हें दिया जा सकता है, तो यह "वास्तविक" होगा। 33 वें संविधान संशोधन पर बहस से भी हमारे विचार का समर्थन होता है। 33 वें संविधान पर दिनांकित 03.05.1974 बहस को उद्धृत करना आवश्यक हो सकता है।

संशोधन, जो नीचे निकाला गया हैः

एच आर गोखलेः मैं सभी बिंदुओं का विस्तार से जवाब नहीं देना चाहता।

क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन बिंदुओं से निपटना होगा जब बिल विचार के लिए आता है। एक तरह से मैं उनका आभारी हूं।

माननीय। सदस्य। उन्होंने मुझे नोटिस दिया है कि वे क्या हैं

कहने जा रहे हैं। मैं उठाए गए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। महोदय, विचार

कि विधेयक किसी भी सदस्य को इस्तीफा देने से रोकता है

गलत है। इसके विपरीत, जिस आधार पर विधेयक आगे बढ़ता है, वह है [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस्तीफे का अधिकार सुरक्षित है और स्वीकृति का विचार

त्यागपत्र की स्वीकृति भी इस परंतुक के अधीन है कि

सामान्य अवस्था में है और त्यागपत्र केवल हो सकता है किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की स्थिति में कि या तो यह नहीं है

यह वास्तविक है या स्वैच्छिक नहीं है। इसलिए, आधार पर आगे बढ़ने के लिए

कि किसी सदस्य का इस्तीफा देने का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया जाता है

गलत है। यह देखा जा सकता है कि बिल का ठीक से अध्ययन किया गया है या नहीं। दूसरे ने उन्होंने जो कहा था, लोकतंत्र के नाम पर, आप कैसे करते हैं?

लोगों को इस्तीफा देने से रोकें। किसी को नहीं रोका जाता है

त्यागपत्र देना। इसके विपरीत, मूल विचार है, सामान्य अधिकार। किसी व्यक्ति का यह कहना कि 'मैं सदस्य बने रहना नहीं चाहता'

सदन का रखरखाव किया जाता है। लेकिन, क्या यह एक लोकतांत्रिक तरीका है, जब

एक सदस्य इस्तीफा नहीं देना चाहता, लोग उस पर दबाव डालते हैं

इस्तीफ़ा देना-राजनीतिक दबाव से नहीं बल्कि हिंसा की धमकियों से

जो गुजरात में सच था। यह कहीं और सच हो सकता है। यह सच था। गुजरात में। यह हुआ था। लोगों की एक बड़ी संख्या, लगभग 200

300 लोग गए और हिंसा के कृत्यों में शामिल हुए, धमकियां दीं

और दबाव में, हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। कुछ मामलों में,

सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से शारीरिक रूप से ले जाया गया था

त्यागपत्र देने के लिए अध्यक्ष।

(जोर दिया गया)

इस संबंध में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने

अध्यक्ष और इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा और फिर से पुष्टि की है कि उन्होंने स्वेच्छा से और वास्तव में सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस न्यायालय ने पहले के रिट में याचिका, जो 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 872 थी, ने अध्यक्ष को सदस्यों के इस्तीफों पर गौर करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन इसे लंबित रखा गया था।

45. हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि अध्यक्ष

इस्तीफे को केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब जांच से पता चलता है कि ऐसा नहीं है

" स्वैच्छिक "या" वास्तविक "। जाँच यह पता लगाने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ने का इरादा रखता है। एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि कोई सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्तीफा देने को तैयार है, तो अध्यक्ष के पास इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अध्यक्ष के लिए यह संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय है कि वह किसी भी श्रीमान्थ बालासाहिब पाटिल v को ध्यान में रखे।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

इस्तीफे पर विचार करते समय अन्य बाहरी कारक। अध्यक्ष की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

46. हमारा मानना है कि उपरोक्त टिप्पणियां स्पष्ट करती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) के तहत अध्यक्ष के कर्तव्य का दायरा, और उसी के संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्क का जवाब दें। हालाँकि, चूंकि हम अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय ले रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं की याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

अयोग्यता पर हमारे बाद के निष्कर्षों को देखते हुए उनके इस्तीफे पत्रों की स्वीकृति।

एफ. बाद में असंतुलन प्रक्रियाएँ

सम्मान

47. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अध्यक्ष ने

अयोग्यता याचिकाओं से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि

याचिकाकर्ताओं के इस्तीफा देने के बाद अब ऐसे सदस्य नहीं थे जिन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता था। यह मुद्दा 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 992 और 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 1003 में याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था।

48. इससे पहले कि हम अपने कारणों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ें, यह उचित है -

संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर विचार करें जिसमें कहा गया है कि

दलबदल ने 1960 के दशक से राष्ट्रीय अंतरात्मा को घेर रखा है। इसका महत्व इस तथ्य से उपजा है कि इसमें लोकतंत्र को व्यापक नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। इस संबंध में, इस तरह की प्रथा के कारण पिछली सरकारों के गिरने का अनुभव करने के बाद, विधायिका ने इस तरह की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए दसवीं अनुसूची को शामिल करते हुए विधेयक पेश किया।

राष्ट्रीय चिंता। यदि इसका मुकाबला नहीं किया जाता है, तो इसकी संभावना है हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है और

सिद्धांत जो इसे बनाए रखते हैं। इस उद्देश्य के साथ, एक आश्वासन था

संसद एक दलबदल विरोधी विधेयक है। यह विधेयक गैरकानूनी घोषित करने के लिए है दलबदल और उपरोक्त आश्वासन को पूरा करना।

(जोर दिया गया)

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. किहोतो होलोहन मामले (ऊपर) में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है

दसवीं अनुसूची की शुरुआत के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट किया, जिसमें यह कहा गया है कि "मुख्य उद्देश्य अंतर्निहित है संवैधानिक संशोधन और दसवीं अनुसूची की शुरूआत दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए है जो हमारे राजनीतिक शरीर में भारी शरारत पैदा कर रही थी। संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

" 9. यह प्रावधानों में अंतर्निहित उद्देश्य को सामने लाता है

दसवीं अनुसूची। इसका उद्देश्य राजनीतिक बुराई पर अंकुश लगाना है।

विचार जो हमारी नींव को खतरे में डालते हैं लोकतंत्र। प्रस्तावित उपाय अयोग्य घोषित करना है

संसद या राज्य के किसी भी सदन के सदस्य

विधायिका जो जारी रखने से दलबदल करती पाई गई है

सदन के सदस्य के रूप में। अयोग्यता के आधार

दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

(जोर दिया गया)

50. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दसवीं अनुसूची

हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानते हुए दलबदल की बुराई को ठीक करने के लिए लाया गया था। 91 वां संविधान संशोधन उपरोक्त दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है कि कानून की आवश्यकता थी

दलबदल की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए और मजबूत करना। उपरोक्त संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी को पेश किया। ये प्रावधान किसी भी व्यक्ति को, जो दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, मंत्री के रूप में नियुक्त होने या अयोग्यता की तारीख से उस तारीख तक कोई लाभकारी राजनीतिक पद धारण करने से रोकते हैं, जिस दिन उसका पद समाप्त हो जाएगा या यदि वह विधायिका के लिए फिर से चुना जाता है, जो भी पहले हो।

51. संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट है। संवैधानिक

संशोधन इस निर्धारण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त परिणाम पैदा करने का प्रयास करता है कि किसी व्यक्ति को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया गया था। अगर हम मानते हैं कि अयोग्यता की कार्यवाही बन जाएगी

इस्तीफा देने पर निष्फल, कोई भी सदस्य जो अयोग्य होने के कगार पर है, तुरंत इस्तीफा दे देगा और अनुच्छेद 75 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी के तहत दिए गए प्रतिबंधों से बच जाएगा। इसलिए इस तरह की व्याख्या केवल पीछे के इरादे के खिलाफ नहीं होगी। दसवीं अनुसूची की शुरूआत, लेकिन 91 वें संवैधानिक संशोधन की भावना को भी पराजित करती है।

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

52. दिल्ली के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ

परिवहन निगम बनाम। डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस, 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 600 ने फैसला सुनाया कि संविधान के तहत एक निषेध की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि मौजूदा बुराइयों को ठीक करने के लिए एक व्यापक व्याख्या दी जा सके। प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

118. विधान, वैधानिक और संवैधानिक दोनों, है

अधिनियमित, यह सच है, बुराइयों के अनुभव से। लेकिन यह सामान्य है

भाषा, इसलिए, आवश्यक रूप से सीमित नहीं होनी चाहिए

वह रूप जो उस बुराई ने ले लिया था। समय काम करता है,

नई स्थितियों और उद्देश्यों को अस्तित्व में लाता है और नए

सीमाओं के प्रति जागरूकता। इसलिए, एक सिद्धांत मान्य होना चाहिए शरारत की तुलना में व्यापक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए

जिसने उसे जन्म दिया। यह विशेष रूप से संवैधानिक रूप से सच है निर्माण कार्य। संविधान अल्पकालिक अधिनियम नहीं हैं।

गुजरने वाले अवसरों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये हैं, शब्दों का उपयोग करने के लिए

मुख्य न्यायाधीश मार्शल का ", अमरता तक पहुँचने के लिए डिज़ाइन किया गया

लगभग मानव संस्थान इसे अपना सकते हैं। " में एक संवैधानिक सीमा या अवरोध का अनुप्रयोग, हमारे

व्याख्या केवल 'क्या हुआ है' की नहीं हो सकती, बल्कि 'क्या हुआ है' की हो सकती है।

हो सकता है '। सुनील में इस न्यायालय की टिप्पणियों को देखें।

बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन [(1978) 4 एससीसी 494: 1979 एससीसी

(क्रि) 155]।

(जोर दिया गया)

53. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) के मामले में v. भारत संघ,

(2018) 8 एस. सी. सी. 501, इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि अदालतें ऐसी व्याख्या करने के लिए बाध्य हैं जो देश की लोकतांत्रिक भावना का महिमामंडन करती है।

संविधानः

284.1 . संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए,

संविधान की भावना ताकि सर्वोत्कृष्ट हमारे संविधान की लोकतांत्रिक प्रकृति और प्रतिमान

नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से प्रतिनिधि भागीदारी

नष्ट नहीं होते हैं। अदालतों को ऐसा अपनाना चाहिए

व्याख्या जो लोकतांत्रिक भावना का महिमामंडन करती है संविधान।

284.5 . संविधान सर्वोच्च साधन होने के नाते परिकल्पना करता है संवैधानिक शासन की अवधारणा जो इसके जुड़वां रूप में है

नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली। संवैधानिक शासन, बदले में, आवश्यक संवैधानिक विश्वास को जन्म देता है

जिसे सभी संवैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए।

(जोर दिया गया)

54. उपरोक्त के अलावा, अध्यक्ष का निर्णय कि ए

प्रति अयोग्य है, अयोग्य कार्रवाई की तारीख से संबंधित है

से भरा हुआ। अध्यक्ष की निर्णय लेने की शक्ति

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा अधिसूचना याचिका पर विचार किया गया थाजेंद्र सिंह राणा बनाम। स्वामी प्रसाद मौर्य, (2007) 4 एससीसी

यह न्यायालय, अनुच्छेद 2 और 6 के प्रावधानों को पढ़ रहा है

अनुसूची, ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अध्यक्ष को निर्णय लेना है

जिस तारीख को अयोग्यता हुई थी, उस तारीख के संदर्भ में।

अदालत ने कहाः

" 34. जैसा कि हम इसे देखते हैं, अयोग्यता का कार्य एक सदस्य पर होता है

स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ देना या

उसे जारी किए गए चाबुक की अवज्ञा का बिंदु। अतः अधिनियम

जो दसवें के पैरा 2 के संदर्भ में अयोग्यता का गठन करता है

अनुसूची चाबुक को छोड़ने या उसकी अवज्ञा करने का कार्य है। द.

अध्यक्ष द्वारा स्वैच्छिक त्याग का, बाद में समय का बिंदु आने वाले समय को स्थगित नहीं कर सकता और न ही करता है

विधायक के कार्य द्वारा अयोग्यता। इसी तरह,

तथ्य यह है कि पार्टी अपने भीतर एक व्हिप की अवज्ञा को माफ कर सकती है

15 दिन या कि अध्यक्ष इसके बाद ही निर्णय लेता है

उन मामलों में, अयोग्यता के समय को भी पेश नहीं किया जा सकता है

उस बिंदु के अलावा कुछ भी जिस पर चाबुक की अवहेलना की जाती है। इसलिए उद्देश्य की पृष्ठभूमि में प्राप्त करने की मांग की गई

संदर्भ के साथ दसवीं अनुसूची के पैरा 2 की समझ दसवीं अनुसूची के अन्य अनुच्छेदों के लिए, यह स्थिति कि

सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है या अवज्ञा करता है चाबुक। यह वास्तव में एक पूर्व पोस्ट फैक्टो निर्णय है।

(जोर दिया गया)

55. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब दलबदल का ऐसा कार्य होता है। की निविदा इस्तीफे का इस संबंध में अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर हम डी के मामले की ओर संकेत कर सकते हैं।

संजीवया बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1211, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

" 5.इसलिए, वर्तमान मामले में, भाग III के संदर्भ के बिना अधिनियम की धारा 150 की अलग से व्याख्या करने की अनुमति नहीं है।

उस अधिनियम का, जो लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए तंत्र निर्धारित करता है। जब चुनाव आयोग द्वारा किसी चुनाव याचिका को न्यायाधिकरण को भेजा जाता है और पूर्व को मामले से अवगत कराया जाता है, तो याचिका का कानून के अनुसार निपटारा किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण को कार्यवाही के समापन पर यह निर्णय लेना होता है कि क्या लौटे उम्मीदवार ने चुनाव में कोई भ्रष्ट आचरण किया है या नहीं और दूसरा, उसे यह तय करना होता है कि दूसरे प्रतिवादी को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। एक लौटा हुआ उम्मीदवार विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा देकर अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका से छुटकारा नहीं पा सकता है, चाहे उसके इस्तीफे का कारण कुछ भी हो।

हो सकता है "।

इसलिए, उपरोक्त सिद्धांत को तदनुसार अपनाया जा सकता है, जिसमें इस्तीफे पर अयोग्यता का दाग वाष्पित नहीं होता है। बशर्ते कि दलबदल इस्तीफे की तारीख से पहले हुआ हो।

56. उपरोक्त के आलोक में, त्यागपत्र और अयोग्यता कानून के तहत प्रदान किए गए अलग-अलग तंत्र हैं जिनके परिणामस्वरूप रिक्तता होती है।

इसके अलावा, अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेते समय इस्तीफे का तथ्य/तरीका एक प्रासंगिक विचार हो सकता है। हम याचिकाकर्ताओं की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि अयोग्यता

यदि इस्तीफे दिए जाते हैं तो कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। यहां तक कि अगर इस्तीफा दिया जाता है, तो इस्तीफे से पहले अयोग्यता का कारण बनने वाला कार्य समाप्त नहीं होता है। वर्तमान मामले में लंबित या आसन्न अयोग्यता की कार्रवाई त्याग पत्र जमा करने से प्रभावित नहीं होती, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस मामले में अयोग्यता का कार्य सदस्यों के विधानसभा से इस्तीफा देने से पहले उत्पन्न हुआ है।

जी. असंतुलन आदेश की वैधता

57. याचिकाकर्ताओं ने पारित आदेशों को चुनौती दी है

अध्यक्ष उन्हें अयोग्य ठहरा रहे हैं। अध्यक्ष ने एक विस्तृत विश्लेषण के बाद, [2019] 16 एस. सी. आर.

स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से अपने निर्विवाद आचरण के माध्यम से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी।

58. उपरोक्त विवाद की जांच करने के लिए, हमें इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है

दसवीं अनुसूची की योजना और संविधान के अन्य प्रावधान। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भारत में संविधान के निर्माण के बाद से दलबदल पर कानून बनाने की लगातार मांग की जा रही थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत दलबदल विरोधी कानून बनाने वाले पहले देशों में से एक था। भारत के उदाहरण के बाद, इज़राइल, कनाडा आदि सहित कई अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया है।

59. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के प्रासंगिक प्रावधान

प्रदान करें किः

" 2. दलबदल के आधार पर अयोग्यता। (1) पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य अयोग्य घोषित किया जाएगा।

सदन का सदस्य होने के लिए

(क) यदि उसने स्वेच्छा से ऐसी अपनी सदस्यता छोड़ दी है।

राजनीतिक दल; या

((ख) यदि वह उस राजनीतिक दल, जिससे वह संबंधित है, या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से दूर रहता है।

इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत, किसी भी मामले में, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना और ऐसे मतदान या अनुपस्थिति को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा ऐसे मतदान की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर माफ नहीं किया गया है। परहेज़ "।

कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है

राजनीतिक दल यदि उसने स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी है या यदि वह अपनी पार्टी की इच्छा के खिलाफ मतदान करता है। इस संबंध में अयोग्यता शब्द का उचित अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है।

60. 'अयोग्यता' शब्द का शब्दकोश अर्थ है 'आधिकारिक तौर पर किसी को प्रतियोगिता में भाग लेने या कुछ करने से रोकना'।

क्योंकि वे उपयुक्त नहीं हैं, या उन्होंने कुछ गलत किया है। हालांकि, दसवीं अनुसूची के तहत इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, जिसमें एक सदस्य को सदस्य बने रहने से रोक दिया जाता है।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

विधायिकाएँ। संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल और विधानमंडल के दो सदन होंगे - विधान परिषद और विधान सभा या जहाँ केवल एक ऐसा विधान सभा है, तो एक विधान सभा। संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत प्रत्येक विधान सभा जब तक कि जल्द भंग नहीं हो जाती, उसके लिए निर्धारित तिथि से पांच साल तक जारी रहेगी।

पहली मुलाकात। राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, ऐसे सदस्यों को अनुच्छेद 173 के तहत सूचीबद्ध तीन अलग-अलग योग्यताओं का पालन करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। 62. संविधान के अनुच्छेद 190 (3) में प्रावधान है कि विधान सभा के सदस्य की सीट खाली हो जाती है यदि -

ऐसा सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) या (2) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, या वह अध्यक्ष को संबोधित अपने हाथ के नीचे लिख कर अपने पद से इस्तीफा दे देता है, और

संविधान के अनुच्छेद 190 (3) के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

63. अनुच्छेद 191 सदस्यता की अयोग्यता का प्रावधान करता है।

जिसे निम्नानुसार कम किया जा सकता हैः

" 191. सदस्यता के लिए अयोग्यता। (1) एक व्यक्ति के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, और के लिए

विधान सभा या विधानमंडल का सदस्य होना किसी राज्य की परिषद

(क) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा घोषित किसी पद के अलावा जो राज्य सरकार को अयोग्य नहीं ठहराता है।

धारक;

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक द्वारा घोषित किया गया है

सक्षम न्यायालय;

(ग) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, या किसी [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत है।

किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति;

(ई) यदि वह द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है

संसद।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य की सरकार के तहत केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह या तो संघ का मंत्री है।

या ऐसे राज्य के लिए।
(2) एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह

इसलिए दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया।

65. संविधान के अनुच्छेद 192 में प्रावधान है कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत निहित आधारों पर अयोग्यता का निर्धारण करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत, संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में निहित आधार पर अयोग्यता के बारे में निर्णय विशेष रूप से अध्यक्ष में निहित है - दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 6। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दसवीं अनुसूची के तहत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 (2) और 191 (2) के तहत प्रदान किए गए अयोग्यता से संबंधित हैं।

66. इस समय हमें संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) और 361 बी का पालन करने की आवश्यकता है। संविधान का अनुच्छेद 164 (1 बी) इस प्रकार है:

" 164. सदस्यों के संबंध में अन्य प्रावधान श्रीमान्थ बालासाहेब पटेल v.

माननीय वक्ता, अर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

(1 बी)। किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या

विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल का सदन

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित जो एक होने के लिए अयोग्य है दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत उस सदन का सदस्य

तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए खंड (1) उस तारीख तक उसकी अयोग्यता की जिस पर उसका कार्यकाल

ऐसे सदस्य के रूप में पद समाप्त हो जाएगा या जहां वह चुनाव लड़ता है

किसी राज्य की विधान सभा के लिए कोई चुनाव या

विधान परिषद, जैसा भी मामला हो, समाप्ति से पहले ऐसी अवधि की, उस तारीख तक जब तक वह घोषित नहीं किया जाता है

निर्वाचित, जो भी पहले हो "।

" 361 बी. पारिश्रमिक पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता राजनीतिक पद।

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य जो पैराग्राफ के तहत सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित

2 दसवीं अनुसूची के किसी भी पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य ठहराया जाएगा।

जिस तारीख को ऐसे सदस्य के रूप में उनके पद का कार्यकाल होगा समाप्ति या उस तारीख तक जिस पर वह चुनाव लड़ता है

एक सदन और निर्वाचित घोषित किया जाता है, जो भी पहले हो।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

एक सदस्य की योग्यता, राजनीतिक कलंक के अलावा, दो में परिणाम देती है सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साधन के रूप में प्रतिबंध

दसवीं अनुसूची के तहत अपवर्गीकृत।

67. अयोग्यता के अर्थ और दायरे को समझने के बाद,

अब न्यायिक समीक्षा की सीमा के बारे में खुद को चिंतित करने की आवश्यकता है

अध्यक्ष का आदेश दसवीं अनुसूची के तहत पारित किया गया।

68. दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 का एक महत्वपूर्ण संबंध है
अयोग्यता के मामले में न्यायिक समीक्षा की सीमा पर, और
मुझे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 6. आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय

इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसे सदन के अध्यक्ष के निर्णय और उनके निर्णय के लिए भेजा जाएगा। अंतिम होगाः

बशर्ते कि जहां यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या किसी सदन का अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के निर्णय के लिए भेजा जाएगा जो सदन करे।

इस ओर से चुना जाता है और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न के संबंध में इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के तहत सभी कार्यवाहियां

इस अनुसूची के तहत सदन को अनुच्छेद 122 के अर्थ के भीतर संसद में कार्यवाही या, जैसा भी मामला हो, राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही माना जाएगा। अनुच्छेद 212 का अर्थ "।

अयोग्यता सदन के सदस्य होने की स्थिति के संबंध में है और अध्यक्ष द्वारा केवल तभी विचार किया जा सकता है जब

प्रश्न, एक याचिका के माध्यम से, अध्यक्ष को संबोधित/भेजा जाता है। दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 के पठन से यह स्पष्ट है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है।

69. तथापि, अंतिमता जो क्रम से जुड़ी हुई है

अध्यक्ष का उद्देश्य इस न्यायालय की समीक्षा करने की शक्ति को छीनना नहीं हो सकता है। किहोतो होल्लोहन मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने एक न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्ष की भूमिका को मान्यता दी और न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी उसमें दिए गए आधारों पर उसी के आदेशों का। अध्यक्ष, एक संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते, आम तौर पर माना जाता है कि

संवैधानिकता की उच्चतम परंपराओं के साथ न्यायनिर्णित। उसी को ध्यान में रखते हुए, अदालतों को निर्णय लेने के लिए एक सीमित समीक्षा की अनुमति दी गई थी

अध्यक्ष द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत पारित आदेश। यहाँ, हमें 'अंतिम' और 'निर्णायक' शब्दों के अर्थ में अंतर की सराहना करने की आवश्यकता है, इस संदर्भ में कि अध्यक्ष का आदेश अंतिम है लेकिन निर्णायक नहीं है और यह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

70. अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो विकसित किए गए हैं

संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का निर्णय लेते हुए न्यायालय। में

किहोतो होल्लोहन मामला (ऊपर) इस न्यायालय ने संविधान की दसवीं अनुसूची की संवैधानिकता ने अभिनिर्धारित किया कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (2) के तहत अंतिमता खंड एक पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के दायरे को कुछ सीमित आधारों तक सीमित करता है। इस न्यायालय ने इस संदर्भ में अभिनिर्धारित किया किः

" 109. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में और अध्यक्ष/सभापति द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति

अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेदों के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा

136 , और एक आदेश के संबंध में संविधान के 226 और 227

अनुच्छेद 6 के तहत अध्यक्ष/सभापति द्वारा पारित किया जाएगा

केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों तक ही सीमित। , कमजोरियों पर आधारित

संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन पर, दुर्भावनापूर्ण, गैर

प्राकृतिक न्याय और विकृति के नियमों का अनुपालन।

(जोर दिया गया)

71. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

इसका उल्लंघन तब किया गया जब अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा (दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता) नियम, 1986 के नियम 7 (3) (बी) का अपमान करते हुए तीन दिन का नोटिस दिया, जिसमें सात दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि अयोग्य सदस्यों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

अध्यक्ष के समक्ष मामला।

72. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कम नहीं किया जा सकता है

स्ट्रेटजैकेट सूत्र। प्राकृतिक न्याय के अनुपालन को निर्धारित करने का पैमाना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आर. एस. दास बनाम के मामले में भारत संघ, (1986) पूरक एस. सी. सी. 617, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" 25. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के नियम नहीं हैं

कठोर नियम, वे लचीले होते हैं और उनका अनुप्रयोग इस पर निर्भर करता है वैधानिक प्रावधान की स्थापना और पृष्ठभूमि, की प्रकृति

अधिकार जो प्रभावित हो सकता है और परिणाम जो

हो सकता है, इसका अनुप्रयोग तथ्यों पर निर्भर करता है और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। '

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

73. किहोतो होल्लोहन मामले (ऊपर) के मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया कि अध्यक्ष अयोग्यता के बारे में निर्णय एक न्यायिक स्वभाव में करता है। इस दृष्टिकोण को इससे और विस्तार मिला रवि एस. नाइक बनाम के मामले में अदालत। भारत संघ, 1994 पूरक (2) पृष्ठ 653 पर एस. सी. सी. 641:

" 20 ..... न्यायिक या अर्ध प्रयोग करने वाले प्राधिकारी का आदेश

के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित न्यायिक कार्य

प्राकृतिक न्याय प्रक्रियात्मक रूप से अधिकार से परे है और इसलिए,

न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि से ग्रस्त है। यही कारण है कि वक्ताओं के निर्णय को दी गई अंतिमता के बावजूद /

अध्यक्षों ने दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 6 (1) के अनुसार ऐसा निर्णय लिया है। गैर-अनुपालन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है

प्राकृतिक न्याय के नियम। लेकिन के सिद्धांतों को लागू करते हुए

प्राकृतिक न्याय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि "वे नहीं हैं

अपरिवर्तनीय लेकिन लचीला "और वे एक कठोर में नहीं डाले जाते हैं

मोल्ड और उन्हें कानूनी स्ट्रेटजैकेट में नहीं रखा जा सकता है।

क्या प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएँ हैं अनुपालन किया गया या नहीं, इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का।

(जोर दिया गया)

74. इस बिंदु पर, याचिकाकर्ताओं ने मामले पर भरोसा रखा है बालचंद्र एल. जरखिहोली बनाम। बी. एस. येदियुरप्पा, (2011) 7 एस. सी. सी. 1 ने तर्क दिया कि उस मामले में, इस न्यायालय ने अयोग्यता के आदेश को केवल इस तथ्य के आधार पर रद्द कर दिया था कि सदस्यों को केवल तीन दिन का नोटिस दिया गया था। हालाँकि, यहाँ यह इंगित करना प्रासंगिक है कि रवि एस. नाइक मामले (उपरोक्त) में, एक अयोग्यता आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें अध्यक्ष ने सदस्यों को दो दिन का नोटिस दिया था। इसलिए, सवाल यह नहीं है कि अध्यक्ष ने कारणदर्शक नोटिस का जवाब देने

के लिए कितने दिन दिए थे, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या सुनवाई का एक प्रभावी अवसर प्रदान किया गया था। यह हमें उस बिंदु पर वापस लाता है जो पहले ही दोहराया जा चुका है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत एक स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं है।

75. इस संदर्भ में, इस पहलू पर निर्णय लेने की आवश्यकता है

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत तथ्य और परिस्थितियाँ

क्या सदस्यों को सुनवाई की सूचना, उनकी अनुपस्थिति का कारण और अध्यक्ष के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसलिए, हम निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए बाद में अलग-अलग मामलों से निपटेंगे।

[अध्याय जे. श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल v. का संदर्भ लें। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

76. कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क है -

कि अध्यक्ष का आदेश संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। हमारा विचार है कि इस तरह के विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है।

77. वाक्यांश "संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन" के लिए बोलता है

स्वयं और बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। एक "संवैधानिक जनादेश" को संविधान के तहत या उसके द्वारा आवश्यक के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा,

(2007) 3 एस. सी. सी. 184, वाक्यांश "संवैधानिक जनादेश" का उपयोग इसमें किया गया है। अर्थः

" 360 ..... एक सादे पठन पर, अनुच्छेद 122 (1) "वैधता" को प्रतिबंधित करता है।

न्यायालय में केवल "प्रक्रिया की अनियमितता" के आधार पर। दूसरे शब्दों में, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है

अदालत चार दीवारों के भीतर जो होता है उसे पूर्ववत या दूषित करने के लिए

विधायिका से। लेकिन फिर, 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' सामने आती है

'मूल अवैधता' के बिल्कुल विपरीत जो नहीं पाया जा सकता है

पूर्व में शामिल। हमारा मानना है कि यह

यह न तो अस्पष्ट है और न ही अस्पष्ट है और इसलिए इसका इलाज किया जाना चाहिए। विषय पर संवैधानिक जनादेश के रूप में, प्रतिपादन

कहीं और उत्तर के लिए अनावश्यक खोज या का आह्वान

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत "।

(जोर दिया गया)

दसवीं अनुसूची के संदर्भ में, और एक आदेश

अध्यक्ष द्वारा इसके तहत पारित अयोग्यता, "संवैधानिक जनादेश" इसलिए कुछ भी नहीं है, बल्कि अध्यक्ष के लिए संवैधानिक रूप से आवश्यक है। "संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन" केवल अध्यक्ष का एक असंवैधानिक कार्य है, जिसका दसवीं अनुसूची की कसौटी और संविधान की शक्तियों या कर्तव्यों के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष इसमें और उसी के उल्लंघन या उल्लंघन में है।

78. संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन के बिंदु पर, हालांकि

हमारी राय है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा एक त्रुटि की गई थी, यह उस स्तर तक नहीं बढ़ती है जिसके लिए हमें अयोग्यता आदेशों को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता होती है। जिस विशिष्ट त्रुटि की हमने पहचान की है वह [2019] 16 एस. सी. आर. की अवधि से संबंधित है।

विवादित आदेशों में अध्यक्ष द्वारा लगाई गई अयोग्यता। हालाँकि, यह त्रुटि अलग करने योग्य है, और अयोग्यता की जड़ तक नहीं जाती है, और इस प्रकार हमें अयोग्यता के आदेशों को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बताए गए इस मुद्दे पर हमारे निष्कर्षों को स्पष्टता के लिए इस फैसले के अलग खंड में निपटाया गया है।

79. याचिकाकर्ताओं का तीसरा तर्क है कि अध्यक्ष के आदेश दुर्भावना के साथ पारित किए गए थे, और इसलिए, उन्हें रद्द करने की आवश्यकता है। हालांकि इस बात का कोई खंडन नहीं है कि अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भावना का आधार उपलब्ध है, लेकिन इसके बारे में सबूत देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो उक्त कार्रवाई को चुनौती देता है और उसे पूरा करने के लिए बहुत भारी बोझ है। [ई. पी. रोयप्पा बनाम देखें। तमिलनाडु राज्य, (1974) 4 एस. सी. सी. 3; राजा राम पाल मामला (ऊपर); न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ (1991) 4 एस. सी. सी. 699]। वर्तमान मामले में, हालांकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अध्यक्ष ने दुर्भावनापूर्ण काम किया है, लेकिन उन्होंने न तो कोई विशिष्ट बात कही है

आरोप, और न ही यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस भारी बोझ का निर्वहन किया है जो यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि दुर्भावना का आधार बनाया गया है।

80. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अध्यक्ष का आदेश विकृत है; हालाँकि, वे विशेष रूप से ऐसे किसी भी उदाहरण की ओर इशारा करने में सक्षम नहीं हैं। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में "विकृति" को ऐसी स्थिति से संबंधित समझा गया है जहां उसके समक्ष हमला किए गए निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर नहीं आए हैं, और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। 81. हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने तर्क दिया कि विकृति निर्धारित करने के लिए "कुछ सामग्री" परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता है। हालाँकि, हम इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं जैसा कि पहले के मामले में हुआ था। मार्कण्डेय चंद, (1998) 7 एस. सी. सी. 517, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए। हमारी राय में, अध्यक्ष के विवादित आदेशों को विकृति के आधार पर दी गई चुनौती से कायम रखा जा सकता है

प्रत्यर्थी यह दिखाने में सक्षम हुए हैं कि विवादित आदेश पारित करने के लिए अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी।

इसके अलावा, हमारे समक्ष रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों की समग्रता पर विचार करने पर, यह नहीं माना जा सकता है कि अध्यक्ष के निष्कर्ष इतने अनुचित या अनुचित हैं कि कोई भी न्यायाधिकरण उन्हीं निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकता था। इसके अतिरिक्त, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने हमारे सामने उस सामग्री का विरोध भी नहीं किया, जिस पर अध्यक्ष ने भरोसा किया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता विफल रहे

अध्यक्ष के आदेश में कोई अवैधता दिखाएँ।

श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

82. निष्कर्ष निकालने से पहले हमें ग्रिफ़िथ और राइल का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

संसद के कार्य, व्यवहार और प्रक्रिया (1989 संस्करण, पृ. 119)

कहोः

" पार्टी के प्रति वफादारी आदर्श है, जो साझा करने पर आधारित है।

मान्यताएँ। एक विभाजित पार्टी को संदेह के साथ देखा जाता है

मतदाता। सदस्यों के लिए राय स्वीकार करना स्वाभाविक है।

उनके नेताओं और प्रवक्ताओं की व्यापक विविधता पर

जिन मामलों पर उन सदस्यों का कोई विशेषज्ञ नहीं है

ज्ञान। आम तौर पर सदस्य बहुमत के निर्णयों को स्वीकार करेंगे।

पार्टी में तब भी जब वे असहमत होते हैं। यह समझ में आता है

इसलिए कि एक सदस्य जो पार्टी व्हिप को अस्वीकार करता है, यहां तक कि एक पर भी

पार्टी के खिलाफ बेवफाई है। बहिष्कार में दूसरों के साथ शामिल होना या साजिश के दूसरे पक्ष के साथ मतदान करें।

(जोर दिया गया)

83. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा है

केवल किहोतो होलोहन मामले (ऊपर) के तहत विस्तृत आधारों तक सीमित। इस संबंध में, याचिकाकर्ता अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों में किसी भी अवैधता को स्थापित नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष ने, हमारे विचार में, सामग्री और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला था कि सदस्यों ने स्वेच्छा से पार्टी की अपनी सदस्यता छोड़ दी है, जिससे दसवीं अनुसूची के संदर्भ में अयोग्यता प्राप्त होती है, इन रिट याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा तथ्यों की समीक्षा और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें अयोग्यता की सीमा तक अध्यक्ष के आदेशों को स्वीकार करना होगा।

एच. बोलने वाले की निर्देश करने की शक्ति

अनुभव के अनुभव तक विसंगति

टर्म

84. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि अध्यक्ष,

अयोग्यता आदेशों ने उन्हें कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा की शेष अवधि के लिए चुनाव लड़ने और सदन का सदस्य बनने से प्रतिबंधित कर दिया है।

85. विवादित अयोग्यता आदेश न केवल अयोग्य ठहराते हैं

याचिकाकर्ताओं ने, लेकिन उस समय अवधि का भी संकेत दिया जिसके लिए उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा। , आदेश की तारीख से कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक।

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

86. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने विशेष रूप से

इस निष्कर्ष को यह कहते हुए चुनौती दी कि अध्यक्ष के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अध्यक्ष के आदेशों का प्रभाव उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने और सदस्यों के रूप में "चुने जाने" पर पड़ता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक प्रावधान, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 361 बी और 164 (1 बी),

संविधान में इसकी अनुमति देने वाले किसी भी विशिष्ट प्रावधान की ओर इशारा करने में असमर्थ, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अध्यक्ष के पास सदन की अखंडता और गरिमा को बनाए रखने की अंतर्निहित शक्ति है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कार्रवाई करने की अध्यक्ष की शक्ति का उदाहरण दिया

एक सदस्य के खिलाफ जो सदन के वेल में अपराध करता है, किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद जो उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि जब तक कि अध्यक्ष ने

ऐसी शक्ति, दलबदल विरोधी कानून एक दाँत रहित कानून होगा और वह

संवैधानिक नैतिकता के लिए ऐसी व्याख्या की आवश्यकता होती है।

88. भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि व्यवहार के रूप में, चुनाव आयोग ने हमेशा किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने की अनुमति दी है।

दसवीं अनुसूची अगले चुनाव में भाग लेने के लिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों से संकेत देते हुए अपनी स्थिति की पुष्टि की कि अध्यक्ष को केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र दिया गया है, यानी अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए। हालाँकि, संविधान के तहत इसके परिणामों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, और अध्यक्ष के पास इसे तय करने की शक्ति नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें संविधान के अनुच्छेद 191, जो अयोग्यता का प्रावधान करता है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के वाक्यांशों के माध्यम से यह इंगित करने के लिए भी बताया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किसी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार करने के आधार के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

अंत में, विद्वान वरिष्ठ श्रीमानंत बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी को चुनाव लड़ने से रोकना एक बहुत ही गंभीर दंडात्मक शक्ति है जिसका उपयोग अध्यक्ष द्वारा कानून के स्पष्ट और विशिष्ट प्रावधान के अभाव में नहीं किया जा सकता है।

89. जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या इसकी शक्ति

अध्यक्ष विशेष रूप से कार्यकाल के अंत तक सदस्यों को अयोग्य ठहराने का विस्तार करता है।

90. संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल के कारण अयोग्यता से निपटने के दौरान, निर्दिष्ट नहीं करती है कि

इस तरह की अयोग्यता के परिणाम या अवधि। वास्तव में, अयोग्यता के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्ति संविधान के अनुच्छेद 190 (3) के तहत प्रदान की जाती है। अध्यक्ष की शक्तियों का दायरा

अयोग्यता के लिए हमें संविधान के अन्य प्रावधानों और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की जांच करने की आवश्यकता है।

91. संविधान के अनुच्छेद 191 में अयोग्यता का प्रावधान है।

आम तौर पर किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता से। संविधान का अनुच्छेद 191 (1) एक सामान्य प्रावधान है जो किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्यता का प्रावधान करता है।

उसमें उल्लिखित आधार। संविधान का अनुच्छेद 191 (2) विशेष रूप से यह प्रावधान है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति

सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि संविधान का अनुच्छेद 191 (2), दसवीं अनुसूची की तरह, यह प्रावधान नहीं करता है कि "अयोग्यता" एक विशेष अवधि या अवधि के लिए काम करने के लिए है।

92. संविधान के अनुच्छेद 191 (1) और अनुच्छेद 191 (2) के बीच वाक्यांश विज्ञान में अंतर वर्तमान विवाद को तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 191 (1) में प्रावधान है कि एक व्यक्ति अयोग्य घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 191 (1) के किसी भी खंड के तहत सदन के सदस्य के रूप में "चुने जाने" और "सदस्य होने" दोनों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 191 (2) केवल "सदस्य होने के लिए" वाक्यांश का उपयोग करता है, जो दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 में उपयोग की जाने वाली भाषा है। बहिष्करण संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए वाक्यांश से पता चलता है कि दसवें के तहत अयोग्यता

अनुसूची अन्य प्रकार की अयोग्यताओं से गुणात्मक और संवैधानिक रूप से अलग है जो संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत प्रदान की गई है।

संविधान। "के रूप में चुने जाने के लिए" वाक्यांश का एक विशिष्ट अर्थ है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं बन सकता है, यदि वह संविधान के अनुच्छेद 191 (1) के तहत अयोग्यता से पीड़ित है। साथ ही, अनुच्छेद [2019] 16 एस. सी. आर. में इन शब्दों की अनुपस्थिति।

191 (2) संविधान का सुझाव है कि एक व्यक्ति जो अब दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के कारण सदस्य नहीं है संविधान बाद में सदस्य नहीं बनने देने की अतिरिक्त दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। इसलिए, ऐसा व्यक्ति

चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं है।

93. इस व्याख्या का समर्थन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) में प्रयुक्त भाषा द्वारा किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि कब एक निर्वाचन अधिकारी किसी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) (ए) में कहा गया है कि नामांकन को अस्वीकार किया जा सकता है यदि -

उम्मीदवार को संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत सीट भरने के लिए "चुने जाने के लिए" अयोग्य ठहराया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 191 (1) में नियोजित भाषा को प्रतिध्वनित करता है, न कि संविधान के अनुच्छेद 191 (2) में। 94. उपरोक्त के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 164 (1 बी) और 361 बी, जिन्हें 91 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह भी दर्शाते हैं कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है। उपरोक्त दोनों संवैधानिक

प्रावधान विशेष रूप से उस बाहरी अवधि को इंगित करते हैं जिसके लिए उसमें इंगित परिणाम विस्तारित होंगे, जो या तो तब तक है जब तक कि

कार्यकाल की समाप्ति या अयोग्य सदस्य के चुने जाने तक, जो भी पहले हो। तथ्य यह है कि इन दोनों प्रावधानों में "जो भी पहले हो" वाक्यांश का उपयोग किया जाता है, यह इंगित करता है कि संविधान एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होता है। इसके अलावा, उपरोक्त प्रावधानों में उपयोग किए गए "चुनाव" शब्द को किसी अन्य शब्द से बाधित नहीं किया गया है, जो इस विचार को मजबूत करता है कि जिस सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया गया है, उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

95. संसद सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 72 के साथ पठित अनुच्छेद 191 (1) (ई) के तहत एक अधिनियम के माध्यम से

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। उपरोक्त अधिनियम की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि इसे इस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था विधानमंडल के सदनों को "सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान करना"।

" संसद के सदनों और विधानमंडल के सदनों या सदनों के लिए चुनाव कराने के लिए एक अधिनियम प्रत्येक राज्य ,

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

उन सदनों की सदस्यता, भ्रष्ट प्रथाएं और अन्य

ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में अपराध और निर्णय इस प्रकार से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाली शंकाओं और विवादों का

चुनाव "।

(जोर दिया गया)

96. लोक प्रतिनिधित्व के भाग 2 का अध्याय 2

अधिनियम, 1951 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का प्रावधान है, जबकि अध्याय 3 में धारा 7 से 11 के तहत निम्नलिखित का प्रावधान है -

विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता। ये धाराएँ न केवल अयोग्यता की स्थिति के लिए प्रावधान करती हैं, बल्कि उन विशिष्ट अवधियों के लिए भी प्रावधान करती हैं जिनके लिए ऐसी अयोग्यता संचालित होगी। उदाहरण के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, अयोग्यता की विभिन्न अवधियों का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को विशिष्ट अपराध के तहत दोषी ठहराया जाता है।

97. हालांकि, प्रावधानों के लिए प्रावधान और निपटान नहीं है

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता। स्पष्ट रूप से, की धारा 36

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में भी इस तरह की अयोग्यता पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, न तो संविधान के तहत और न ही वैधानिक योजना के तहत यह विचार किया गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता फिर से चुनाव लड़ने के लिए एक बाधा के रूप में काम करेगी। द. अनुच्छेद 191 के खंड (1) और (2), अनुच्छेद 164 (1 बी) और 361 बी की भाषा उत्तरदाताओं के तर्क के विपरीत है।

98. इस स्थिति को देखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अध्यक्ष ऐसा नहीं करते हैं

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की अवधि निर्दिष्ट करने या किसी सदस्य को अयोग्यता के बाद विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव लड़ने से रोकने की कोई स्पष्ट शक्ति है।

99. हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विद्वानों के समर्पण पर ध्यान दें

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि अध्यक्ष के पास अभी भी अंतर्निहित शक्तियां हैं जो उन्हें प्रतिबंधों को पारित करने की अनुमति देती हैं जैसे कि यहां आक्षेप किया गया है। इस बिंदु पर, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अध्यक्ष के पास इतनी व्यापक अंतर्निहित शक्ति मौजूद नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुपस्थिति की अनुमति देने के लिए भी, अध्यक्ष को इसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसे अनुपस्थिति की अनुमति देने से पहले अनुमति आवेदन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।

100. हम विद्वानों के तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अध्यक्ष की [2019] को रोकने की शक्ति 16 एस. सी. आर.

एक अयोग्य सदस्य को पुनः चुनाव लड़ने से रोकना उसकी भूमिका के लिए स्वाभाविक है और अध्यक्ष को दाँतहीन होने से रोकने के लिए उसे संविधान में पढ़ने की आवश्यकता है। जब के स्पष्ट प्रावधान

संविधान एक विशिष्ट घटना के लिए प्रावधान करता है, अतिरिक्त दंडात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए एक "अंतर्निहित" शक्ति को पढ़ना उचित नहीं है। को। ऐसा करना और प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार करना संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ होगा।

101. इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है

यदि वह अन्यथा चुनाव लड़ने के लिए योग्य है तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। इस कानूनी स्थिति को जी नारायणस्वामी बनाम में संविधान पीठ के फैसले से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। जी पन्नीरसेल्वम, (1972) 3 एससीसी 717। इस सवाल से निपटने में कि क्या एक गैर-स्नातक विधान परिषद के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार होने के लिए योग्य था, जब ऐसी आवश्यकता संविधान या संसद द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी, तो इस न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया, जिसमें उम्मीदवार को स्नातक होने की आवश्यकता थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कानून को ऐसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है,

यह न्यायालयों द्वारा अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, और कहा गया है किः

" 20. हम सोचते हैं कि भाषा के साथ-साथ विधायी इतिहास भी

संविधान के अनुच्छेद 171 और 173 और संविधान की धारा 6 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, हमें यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है कि

उस योग्यता को जानबूझकर छोड़ना जिसका प्रतिनिधि

स्नातक भी स्नातक होना चाहिए। हमारी राय में, नहीं

अगर हम इस तरह के इरादे का अनुमान लगाते हैं तो बेतुकेपन का परिणाम मिलता है। हम अनुमान नहीं लगा सकते।

जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने किया था,

इस तरह की चूक का मात्र तथ्य और एक कथित के बारे में राय

के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत "कार्यात्मक प्रतिनिधित्व" की योजना

हमारा संविधान, कि चूक या तो अनजाने में थी या वह

इसके बेतुके परिणाम निकले। हम सोचते हैं कि, एक शर्त जोड़कर

एक की आवश्यक या निहित योग्यताएँ होना

स्नातकों के प्रतिनिधि जो संविधान निर्माता, या, किसी भी मामले में संसद, आसानी से हो सकता था

थोपा, विद्वान न्यायाधीश ने वास्तव में आक्रमण किया था विधायी क्षेत्र। कानून में दोष, यदि कोई हो तो, हो सकता है

केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा हटाया गया।

(जोर दिया गया)

102. इसी तरह एन. एस. वर्दाचारी बनाम के मामले में। जी. वसंत

पाई, (1972) 2 एस. सी. सी. 594, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने श्रीसंत बालासाहेब पाटिल बनाम को दोहराया।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

उपरोक्त स्थिति, और यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार एक उम्मीदवार के पास योग्यताएँ और कानून में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन नहीं है, वह एक उम्मीदवार होने के योग्य है और कोई अन्य विचार अप्रासंगिक हो जाता है। न्यायालय ने कहा किः

" 18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्धारित करता है निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए योग्यताएँ। धारा 8 से 10

अधिनियम के ए ने उन आधारों को निर्धारित किया जो किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराते हैं उम्मीदवार होने के नाते। यदि किसी व्यक्ति के पास सभी योग्यताएँ हैं

संविधान के साथ-साथ अधिनियम में भी निर्धारित किया गया है और नहीं

उसमें उल्लिखित किसी भी अयोग्यता को वहन किया तो वह उम्मीदवार बनने के लिए योग्य है। यह असंगत लग सकता है कि

स्नातक को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन

यदि किसी उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यताएँ हैं और

में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता को वहन नहीं किया है

संविधान या अधिनियम में अन्य विचार हो जाता है

अप्रासंगिक। यह इस न्यायालय के फैसले का अनुपात है। नारायणस्वामी मामले में। ”

(जोर दिया गया)

103. यह स्पष्ट है कि आधार में कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है

सुविधा, समानता, तर्क या कथित राजनीतिक इरादों के आधार पर अयोग्यता।

104. यह उत्तरदाताओं का तर्क है कि न्यायालय को

अयोग्यता के एक सख्त मॉडल की वांछनीयता पर विचार करें जिसमें एक व्यक्ति जिसने पार्टी लाइनों को पार कर लिया है, उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और प्रयास करने के लिए गंभीर दंडात्मक परिणामों से दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा करें। इसके अलावा, वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं के कार्यों को संवैधानिक पाप करार दिया है।

105. हम द्वारा लिए गए इस तरह के चरम रुख को स्वीकार नहीं करते हैं

विद्वान वरिष्ठ वकील, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस तरह के चरम रुख का वैध असहमति पर डरावना प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी मामले में, नीति में इस तरह के बदलाव पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। हस्तक्षेप करने के

किसी भी प्रयास को पुनर्निर्माण के रूप में जाना जाता है, जो कानूनी दायरे से बाहर है। न्यायालयों द्वारा व्याख्या। [जी. नारायणस्वामी मामले (ऊपर) का संदर्भ लें]

106. यह स्पष्ट है कि योग्यता निर्धारित करने की शक्ति और

राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता [2019] 16 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

विशेष रूप से संविधान के तहत या संसद द्वारा प्रदान किया गया

एक कानून बनाकर। चूँकि न तो संविधान और न ही कोई अधिनियम आगे के चुनाव लड़ने से रोकने के रूप में किसी अन्य दल को दलबदल का प्रावधान करता है, इसलिए अध्यक्ष की अंतर्निहित शक्तियों की अस्पष्ट अवधारणा में इस तरह के प्रतिबंध को पढ़ना अस्वीकार्य और अमान्य है। बिना किसी टिप्पणी के राजा राम पाल मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद के पास कुछ अलिखित शक्तियां हैं, कहा कि निष्कासन की स्थिति में भी निष्कासित उम्मीदवार को फिर से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

107. एक अलग कोण से देखा गया, हालांकि संविधान

हो सकता है कि सब कुछ न कहें, इस न्यायालय को अनकही बातों को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है। हालाँकि, इस तरह का विस्तार शक्तियों के पृथक्करण के अपमान में और कठोर या कट्टरपंथी तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, एक प्रमुख स्विस-फ्रांसीसी राजनीतिक लेखक, बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने 1814 में लिखा था किः

" संविधान शायद ही कभी पुरुषों की इच्छा से बनाए जाते हैं। समय बनाता है।

उन्हें। उन्हें धीरे-धीरे पेश किया जाता है और लगभग

अदृश्य तरीका। फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें

संविधान बनाने के लिए यह अपरिहार्य है। लेकिन केवल तभी करें

जो अपरिहार्य है। समय के लिए जगह छोड़ दें और

अनुभव, ताकि ये दो सुधार शक्तियाँ निर्देशित कर सकें

सुधार में आपकी पहले से ही गठित शक्तियाँ

किया गया और जो अभी भी किया जाना बाकी है उसे पूरा करना।

(जोर दिया गया)

108. उत्तरदाताओं का तर्क है कि राजनीतिक

इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता को खारिज करने की आवश्यकता है। संवैधानिक मौन का उपयोग ऐसे परिवर्तनों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रकृति।

109. किहोतो होलोहन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

48. विद्वान लेखक, उन मामलों का उल्लेख करते हुए जिनमें एक निर्वाचित

सदस्य गंभीर रूप से सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

राय, या जिसका व्यक्तिगत व्यवहार मानकों से नीचे आता है अपने मतदाताओं के लिए स्वीकार्य इस बात की सराहना करता है कि जिसकी आवश्यकता है वह है

मतदाताओं के विचार। ब्रेज़ियर उपकरण की प्रभावकारिता की बात करता है जहाँ निर्वाचन क्षेत्र अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकता है। ब्रेज़ियर कहते हैं:

[आइबीआइडी।

52, 53 पर] श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम। माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

" किस तरह का आचरण वापस बुलाने के संचालन को आकर्षित कर सकता है

शक्ति? सबसे पहले, किसी सदस्य ने अपनी सदस्यता का दुरुपयोग किया होगा।

सदन का, उदाहरण के लिए अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए

अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आक्रामक तरीके से हित। वे कर सकते हैं।

उन्होंने अपनी पार्टी बदली लेकिन अपनी सीट से इस्तीफा देने और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तत्काल उप-चुनाव। यह उम्मीद करना अनुचित नहीं है

सदस्य जो सदन के पटल को पार करता है, या जो एक में शामिल होता है नई पार्टी, मतदाताओं को जल्दी से खुद को फिर से प्रस्तुत करने के लिए जो

उसे अलग-अलग रंगों में लौटा दिया था। बेशक, उन सभी में

विवादास्पद आचरण के तीन क्षेत्र-सामान्य प्रक्रिया

पुनर्निर्वाचन के परिणामस्वरूप सदस्य को उसके रूप में हटा दिया जा सकता है

पार्टी के उम्मीदवार (और जाहिर है कि निश्चित रूप से वह परिणाम होगा

तीसरे मामले में)। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब

पुनर्निर्वाचन आया; और किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र अभी भी अगले आम चुनाव तक सदस्य को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहें।

मार्गों का एक स्वच्छ और अधिक समय पर विभाजन होगा बेहतर है। कभी-कभी एक निलंबित सजा पूरी नहीं होती है

मामला "।

49. वास्तव में, एक अर्थ में दलबदल विरोधी कानून एक वैधानिक कानून है।

इसके नैतिक सिद्धांत और अंतर्निहित औचित्य का रूप याद करने की शक्ति। वापस बुलाने के प्रावधान को क्या उचित ठहरा सकता है

दलबदल के लिए अयोग्यता के प्रावधान को उचित ठहराएगा।

सिद्धांतहीन दलबदल एक राजनीतिक और सामाजिक बुराई है।

(जोर दिया गया)

110. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष, के अभ्यास में

दसवीं अनुसूची के तहत उसकी शक्तियों के पास न तो उस अवधि को इंगित करने की शक्ति है जिसके लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया है और न ही किसी को प्रतिबंधित करने की शक्ति है। चुनाव लड़ने से। हमें यह याद रखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि किसी विशेष नियम या कानून की वांछनीयता को किसी भी स्थिति में उसके अस्तित्व के सवाल के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, और संवैधानिक

नैतिकता को कभी भी राजनीतिक नैतिकता से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, यह तय करने में कि संविधान क्या आदेश देता है। [इंद्र साहनी बनाम का उल्लेख करें। भारत संघ, 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217] [2019] 16 एस. सी. आर.

111. इसलिए, हम अध्यक्ष द्वारा पारित विवादित आदेशों के उस हिस्से को मानते हैं जो निर्दिष्ट करता है कि अयोग्यता इस प्रकार रहेगी - कर्नाटक की 15 वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के आदेश की तारीख संवैधानिक जनादेश के अधिकार से बाहर है, और अयोग्यता आदेश के इस हिस्से को रद्द कर देती है। हालाँकि, यह आदेश की जड़ तक नहीं जाता है, और इस तरह, अयोग्यता आदेशों की वैधता के पहलू को प्रभावित नहीं करता है।

112. अलग होने से पहले, अध्यक्ष की शक्ति के दायरे का पता लगाने के बाद, इस पीठ को केवल एक ही अफसोस है -

वर्तमान परिदृश्य में सभी संवैधानिक अधिकारियों ने जिस तरह से कार्य किया है। एक संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते, संविधान उन्हें और उनके कार्यों को संवैधानिकता और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए कहता है। इस संबंध में, एक पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचलित राजनीतिक नैतिकता और दबावों से विचलित न हो। में। संविधान को बनाए रखने के लिए, हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है जो हमारे जैसे अच्छे संविधान को बेहतर बना सकें। इस संबंध में डॉ. अम्बेडकर ने 25.11.1949 पर कहा किः

' मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने संविधान का जितना हो सके उतना बचाव करने की पेशकश की है। इसलिए मैं संविधान के गुण-दोष में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, इसका बुरा होना निश्चित है क्योंकि जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत बुरे होते हैं। संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यह अच्छा साबित हो सकता है अगर जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे एक

बहुत अच्छा। संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रदान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का काम-काज जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने साधन के रूप में स्थापित करेंगे। कौन कह सकता है कि लोग कैसे

भारत और उनके दल क्या व्यवहार करेंगे? क्या वे बर्दाश्त करेंगे?

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीके या वे उन्हें प्राप्त करने के क्रांतिकारी तरीकों को पसंद करेंगे? अगर वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं, तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो। हो सकता है, यह कहने के लिए किसी पैगंबर की आवश्यकता नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसलिए, श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल v के बिना संविधान पर कोई भी निर्णय पारित करना व्यर्थ है।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

उस हिस्से का संदर्भ जो लोगों और उनके दलों के होने की संभावना है

खेलने के लिए। '

(जोर दिया गया)

113. डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे 26.11.1949 पर दोहराया।

निम्नलिखित शब्दः

' संविधान जो कुछ भी प्रदान करे या न करे,

देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे

देश प्रशासित है। यह पुरुषों पर निर्भर करेगा।

इसका प्रबंधन कौन करता है। यह एक साधारण कहावत है कि एक देश हो सकता है

एक और। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दोष अंतर्निहित हैं देश में और बड़े पैमाने पर लोगों की स्थिति। अगर लोग

जो चुने जाते हैं वे सक्षम और चरित्रवान होते हैं और

सत्यनिष्ठा, वे एक का भी सर्वश्रेष्ठ बनाने में सक्षम होंगे दोषपूर्ण संविधान। अगर इनमें कमी है, तो

संविधान देश की मदद नहीं कर सकता। आखिरकार, एक संविधान

जो लोग इसे नियंत्रित करते हैं और इसे संचालित करते हैं, और भारत को आज कुछ भी नहीं चाहिए ईमानदार पुरुषों के एक समूह से अधिक जो रुचि रखते हैं

उनके सामने देश। '

(जोर दिया गया)

114. उसी को देखते हुए, हम केवल यह इंगित कर सकते हैं कि केवल

संविधान की रक्षा करने और उसे बनाए रखने की शपथ पर्याप्त नहीं हो सकती है, बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करना हमारे गौरवशाली दस्तावेज यानी संविधान के लिए आवश्यक और अपेक्षित है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अध्यक्ष के पास संविधान के तहत कार्यकाल के अंत तक सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है, हम कुछ टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं।

115. अंत में हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अध्यक्ष, एक तटस्थ होने के नाते

व्यक्ति से, संचालन करते समय स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है

सदन की कार्यवाही या किसी भी याचिका का निर्णय। उन्हें दी गई संवैधानिक जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी

पीछा किया। उनकी राजनीतिक संबद्धता निर्णय के रास्ते में नहीं आ सकती है। यदि अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल से अलग होने में सक्षम नहीं है और तटस्थता और स्वतंत्रता की भावना के विपरीत व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यक्ति जनता के विश्वास और विश्वास के साथ रहने का हकदार नहीं है।

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

116. किसी भी मामले में, तटस्थ होने के संवैधानिक कर्तव्य के खिलाफ कार्य करने वाले वक्ताओं की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके अलावा, राजनीतिक

पार्टियाँ खरीद-फरोख्त और भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त हैं, जिसके कारण नागरिक स्थिर सरकारों से वंचित हैं। इन परिस्थितियों में संसद को कुछ पहलुओं को मजबूत करने पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है दसवीं अनुसूची, ताकि इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रथाओं को हतोत्साहित किया जाए।

I. संविधान पीठ का उल्लेख करें

एक बड़ी बेंच का संदर्भ। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 145 (3) का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस न्यायालय को कानून के तहत मामलों को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए अनिवार्य किया गया है क्योंकि तत्काल मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का सवाल उठा है।

118. इस समय संविधान के अनुच्छेद 145 (3) को उद्धृत करना फायदेमंद हो सकता हैः

" 145. न्यायालय के नियम आदि।

(3) न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो इस संविधान की व्याख्या के रूप में या निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय लेने के उद्देश्य से बैठेंगेः

अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई पाँच होगीः

बशर्ते कि, जहां न्यायालय अनुच्छेद 132 के अलावा इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत अपील की सुनवाई करता है, उसमें शामिल हैंः

पाँच न्यायाधीशों से कम और अपील की सुनवाई के दौरान न्यायालय का समाधान होता है कि अपील में इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसका निर्धारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है, ऐसा न्यायालय राय के लिए प्रश्न को न्यायालय को भेजेगा। इस खंड द्वारा ऐसे प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले पर निर्णय लेने के उद्देश्य से गठित किया गया है और राय प्राप्त होने पर ऐसी राय के अनुरूप अपील का निपटारा किया जाएगा।

119. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत आवश्यकताओं पर कभी भी व्यापक रूप से विचार नहीं किया गया है।

अक्सर, केवल मौखिक सेवा प्राप्त की है, जिसमें इस न्यायालय ने श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल बनाम.

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

उन मामलों के कानूनों का अस्तित्व पाया गया जो पहले से ही शामिल प्रस्ताव से निपट चुके हैं, और ऐसे संदर्भों को खारिज कर चुके हैं। आम तौर पर, इस प्रवृत्ति पर उचित मामलों में विचार करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुचित संदर्भ अनावश्यक रूप से मूल्यवान न्यायिक का उपभोग न करें।

इस संदर्भ में हमें दो महत्वपूर्ण वाक्यांशों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है संविधान के अनुच्छेद 145 (3) में आने वाले, जो 'कानून का सारवान प्रश्न' और 'संविधान की व्याख्या' हैं। उपरोक्त प्रावधान को पढ़कर, संदर्भ देने से पहले दो शर्तों को दूर किया जा सकता हैः

आई. न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इस मामले की व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

संविधान;

ii. जिसका निर्धारण निपटान के लिए आवश्यक है

मामले से।

यह है कि इस न्यायालय को पर्याप्त के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होने की आवश्यकता है संवैधानिक व्याख्या पर कानून का प्रश्न। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि संवैधानिक व्याख्या के प्रत्येक मामले को अनिवार्य रूप से संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए।

122. उत्पन्न होने वाले सामान्य महत्व के कानून का कोई भी प्रश्न

मामले में शामिल दांव, बल्कि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंतिम निर्धारण पर कानून के सवाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अंतिम परिणाम पर निर्णायक प्रभाव डालने वाले प्रश्न पहले से ही किए जा चुके हैं एक निर्णायक प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने पर, ऐसे प्रश्नों को "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद नहीं है, जिसके लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है। न्याय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण दायित्व और किसी भी अवधि के विस्तार से बचने की बाध्यकारी आवश्यकता के बीच एक न्यायिक संतुलन प्राप्त करना मुख्य आवश्यकता है।

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

123. एक बड़ी पीठ के संदर्भ के लिए इसी तरह के सवाल उठे थे।

अब्दुल रहीम इस्माइल सी. रहीमतूला बनाम के मामले में। की स्थिति

बॉम्बे, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1315, जिसमें इस न्यायालय ने संदर्भ को खारिज कर दिया क्योंकि जिन प्रश्नों को संदर्भित करने की मांग की गई थी, वे पहले से ही पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निपटाए जा चुके थे। इसी तरह, भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम के मामले में यह न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 682 ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तब उत्पन्न नहीं हो सकता जब इस विषय पर कानून अंततः तैयार हो गया हो।

इस न्यायालय द्वारा प्रभावी ढंग से निर्णय लिया गया। वही यहाँ नीचे दिया गया हैः

" 11 ..... विद्वान वकील सुझाव देते हैं कि उठाए गए प्रश्न में शामिल हैं

संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या और इसलिए इस अभियुक्त की अपील को पीठ के पास भेजना होगा।

5 न्यायाधीशों से कम नहीं। के अनुच्छेद 145 (3) के तहत

संविधान केवल एक ऐसा मामला है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है संविधान की व्याख्या के बारे में एक

संविधान का प्रावधान तब उत्पन्न नहीं हो सकता जब कानून अंत में और प्रभावी रूप से इस विषय पर निर्णय लिया गया है।

न्यायालय। जैसा कि उठाए गए प्रश्न का निर्णय पहले ही किया जा चुका है

यह न्यायालय, जो बचा है वह केवल सिद्धांत का अनुप्रयोग है

मान लीजिए कि उठाए गए प्रश्न में एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है अर्थ के भीतर संविधान की व्याख्या के बारे में कानून

संविधान का अनुच्छेद 145 (3)।

(जोर दिया गया)

यह न्यायालय पीपुल्स यूनियन में तीन न्यायाधीशों की पीठ में बैठा है

सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ, (2003) 4 एस. सी. सी. 399 ने उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया है।

124. उपरोक्त घोषणाओं के आलोक में, हम देखते हैं कि

संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब दो या दो से अधिक संभावित निर्माणों को किसी प्रावधान पर रखने की मांग की जाए। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल द्वारा की गई मुखर दलीलों के बावजूद, हम दो लोगों द्वारा दिए गए निर्णयों से निर्देशित हैं।

किहोतो होल्लोहन में इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय मामला (ऊपर) और राजेंद्र सिंह राणा मामला (ऊपर)। ये निर्णय दसवीं अनुसूची श्रीमान्थ बालासाहिब पाटिल v को समझने के लिए आधिकारिक ढांचा बनाते हैं।

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

और बाद के कई निर्णयों में इसका पालन किया गया है और इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

125. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का दायरा अच्छी तरह से तय है।

126. मामला ज्यादातर इस तथ्य पर आधारित है कि यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इन याचिकाकर्ताओं का दलबदल उनके इस्तीफे से पहले ही हो गया था। विवादित आदेशों में, अध्यक्ष ने एक मामला बनाया कि याचिकाकर्ताओं के कार्यों ने "स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ने" का संकेत दिया। इसलिए, सदस्यों द्वारा इस्तीफा देने के बाद अयोग्यता से निपटने के लिए अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल नहीं उठता है। उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए, प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्नों से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है।

127. इसके अलावा, अयोग्य ठहराने की अध्यक्ष की शक्ति की व्याख्या कई मामलों में की गई है, और वर्तमान मामले में किसी भी व्यापक आधार वाले संदर्भ की आवश्यकता नहीं है जो केवल अपरिहार्य को बढ़ाएगा। संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा इस तरह के आकस्मिक और घुड़सवार संदर्भ नहीं लिए जाने चाहिए, जो इस न्यायालय को अत्यधिक शैक्षणिक प्रयासों में लिप्त नहीं होने और बहुमूल्य न्यायिक संरक्षण की जिम्मेदारी देता है। समय पर, और प्रभावी रूप से समय पर न्याय प्रदान करें।

128. अंतिम पहलू, जो कार्यकाल के अंत तक सदस्यों को अयोग्य ठहराने की अध्यक्ष की शक्ति से संबंधित है, पहले ही किया जा चुका है।

129. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने से इनकार करते हैं कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है इस मामले में उत्पन्न होने वाली संवैधानिक व्याख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. व्यक्तिगत मामले डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 992 2019 का

130. याचिकाकर्ता (श्रीमंत बालासाहेब पाटिल) स्वीकार करता है कि वह

आई. एन. सी. के टिकट पर चुने गए थे और दावा करते हैं कि वे अपनी उपस्थिति से दूर रहे बिना व्यक्तिगत कारणों से चेन्नई चले गए।

चल रहा विधानसभा सत्र। मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने 18.07.2019 और 19.07.2019 पर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से परहेज किया था। उसी के अनुसार, उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका 20.07.2019 पर दायर की गई थी और उन्हें आगे 24.07.2019 पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए दिनांक 1 पर एक पत्र लिखा था और याचिका की सामग्री पर उचित जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। फिर भी, माननीय अध्यक्ष ने आगे बढ़कर 28.07.2019 पर अयोग्यता आदेश पारित किया, जिसे तत्काल याचिका में आक्षेपित किया गया है।

131. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माननीय अध्यक्ष द्वारा पारित विवादित आदेश, द्वारा संबोधित संचार/पत्रों को संदर्भित करता है

चेन्नई जाने का याचिकाकर्ता, लेकिन असुविधा और स्वास्थ्य के कारण

कारणों ने उनके डॉक्टर मित्र से संपर्क किया और तदनुसार मुंबई चले गए जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया था। इसने यह भी दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने 12.07.2019 और 15.07.2019 पर विधानसभा सत्रों में भाग लिया था, लेकिन उसके बाद 22.07.2019 पर सत्र में भाग लेने से परहेज किया था, जिसके लिए 20.07.2019 पर व्हिप जारी किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को कोई औपचारिक अनुमति नहीं दी गई थी। अध्यक्ष ने इससे पहले याचिकाकर्ता द्वारा दी गई अनुपस्थिति की छुट्टी को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि

निजी अस्पताल द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया। उल्लेखनीय रूप से, याचिकाकर्ता का दिनांकित पत्र 19.07.2019 को लिखा गया

अध्यक्ष के खिलाफ अस्पताल के किसी भी डॉक्टर ने हस्ताक्षर नहीं किए थे।

सभा। याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि उसने दिनांकित पत्र भेजा था 23.07.2019 , जो अयोग्यता याचिका को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ता यहाँ अयोग्यता की कार्यवाही से स्पष्ट रूप से अवगत था।

133. रिट याचिका पर दायर आपत्तियों में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि आई. एन. सी. ने अपने सदस्यों की वफादारी का परीक्षण करने के लिए, लंबित विश्वास मत को देखते हुए, पार्टी सदस्यों को स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि वे श्रीसंत बालासाहेब पाटिल v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

स्वयं विधानसभा की कार्यवाही से, ऐसा न करने पर दसवीं अनुसूची के तहत कौन सी कार्रवाई की जाएगी। 134. हमें नहीं लगता कि अध्यक्ष का आदेश विकृति से ग्रस्त है। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने भी विरोध करने के लिए सामग्री जमा नहीं की है

अध्यक्ष द्वारा आक्षेपित क्रम में अभिलिखित निष्कर्ष। इस दावे के संबंध में कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी खड़ा नहीं होगा कि अध्यक्ष ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद उसे अयोग्य घोषित करने के लिए ठोस कारण दिए हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कथित उल्लंघन का भी मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई महत्व नहीं है क्योंकि इस तथ्य के आलोक में पढ़ा जाता है कि विश्वास मत पर मतदान किया जाना था।

डब्ल्यू. पी. (सी) नहीं। 997 2019 का

अर्थात् आई. एन. सी. और दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1) (ए) के तहत अयोग्यता हुई। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं को 14.02.2019 पर नोटिस जारी किए गए, जिन्होंने 20.02.2019 पर अयोग्यता याचिका की सामग्री पर विवाद करते हुए विधिवत अपना जवाब दाखिल किया। जबकि अयोग्यता याचिका लंबित थी, दोनों याचिकाकर्ताओं ने 06.07.2019 पर कांग्रेस/जद (एस) से संबंधित दस अन्य विधायकों के साथ अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। याचिकाकर्ताओं को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था अयोग्यता याचिका के संबंध में 11.07.2019 पर अध्यक्ष के समक्ष।

136. अध्यक्ष ने विवादित आदेश में [2019] 16 एस. सी. आर. से याचिकाकर्ताओं के आचरण सहित आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान दिया है।

फरवरी 2019 के बाद। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था जिन्होंने यहां अपने जवाब भी दाखिल किए थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, 16.01.2019 दिनांकित नोटिस के माध्यम से,

आई. एन. सी. विधायक दल की एक बैठक 18.01.2019 के लिए बुलाई गई थी। नोटिस में कहा गया है कि सदस्यों को अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेना चाहिए अन्यथा उनकी खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता 18.01.2019 पर पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए। मान लीजिए, याचिकाकर्ताओं ने 06.02.2019 की अगली आम सभा की बैठक के साथ-साथ 06.02.2019 से विधानसभा सत्रों में भाग लेने से भी परहेज किया। अयोग्यता याचिका दायर किए जाने के लगभग चार महीने बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तीफे प्रस्तुत किए गए थे।

137. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक डॉ. उमेश यादव के मामले में अध्यक्ष के आदेश पर आधारित है।

11.02.2019 पर दायर अयोग्यता याचिका के साथ भी नामित और सेवा की। डॉ. उमेश यादव ने 04.03.2019 पर अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे अध्यक्ष ने 01.04.2019 पर स्वीकार कर लिया था। इसलिए, याचिकाकर्ता समानता और समान व्यवहार का दावा करते हैं। इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष ने विस्तृत कारण दिए हैं कि वह डॉ. उमेश यादव के इस्तीफे के मामले से क्यों बाध्य नहीं थे।

138. जैसा कि पहले देखा गया है, अध्यक्ष के पास अयोग्यता का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। क्रम में कोई दुर्बलता नहीं है, जो हमारे भोग और हस्तक्षेप की मांग करता है।

डब्ल्यू. पी. (ग) एन. ओ. एस. 998 , 1000 , 1001 , 1005 , 1006 और 2019 का 1007

139. 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 1005 में तीन याचिकाकर्ता जद (एस) के सदस्य थे, जिनके खिलाफ एक अलग अयोग्यता थी।

2019 की याचिका संख्या 5 को आगे बढ़ाया गया था। अध्यक्ष ने एक अलग पारित किया

इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिनांकित 28.07.2019 का विवादित आदेश।

140. रिट याचिका (सी) संख्या में याचिकाकर्ता। 998 , 1000 , 1001 , 1006 और 2019 का 1007 सभी आई. एन. सी. के सदस्य थे, जिनके खिलाफ

अयोग्यता याचिका सं। 3 और 2019 के 4 को स्थानांतरित कर दिया गया। अध्यक्ष द्वारा 10 याचिकाकर्ताओं को अयोग्य ठहराते हुए 28.07.2019 दिनांकित एक सामान्य आदेश पारित किया गया था।

141. उपरोक्त दोनों आदेशों को एक साथ निपटाया जा रहा है क्योंकि तथ्यों और परिस्थितियों में कुछ समानताएं हैं जिनकी आवश्यकता है श्रीमान्थ बालासाहिब पटेल v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

ध्यान देने और उजागर करने के लिए, जिसके कारण अध्यक्ष का निर्णय हुआ। 01.07.2019 और 11.07.2019 के बीच, याचिकाकर्ताओं ने विधान सभा के सदस्यों के रूप में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हालाँकि, अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे पर निर्णय नहीं लिया। इस तथ्य से व्यथित होकर कि अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं ले रहे थे, दस याचिकाकर्ताओं ने 2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 872 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इस न्यायालय ने 11.07.2019 पर एक आदेश पारित कर अध्यक्ष को तुरंत निर्णय लेने का निर्देश दिया। द.

दूसरी ओर, अध्यक्ष ने निर्णय नहीं लिया। अन्य पाँच

याचिकाकर्ताओं ने 2019 की लंबित रिट याचिका (सी) संख्या 872 में खुद को शामिल किया और फिर से, 17.07.2019 पर, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर होने के संबंध में सुरक्षा प्रदान की। अध्यक्ष के रूप में, शक्ति परीक्षण का संचालन नहीं किया, आर. शंकर [2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 1003 में याचिकाकर्ता] ने 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 929 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इस न्यायालय ने 23.07.2019 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" यह कहा गया है कि अध्यक्ष उम्मीद करते हैं और आशावादी हैं

कि सदन द्वारा विश्वास मत दिन के दौरान, शायद बाद में शाम को लिया जाएगा। इसलिए हम स्थगित करते हैं।

मामला कल तक का है।

142. इस संबंध में, अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य था कि वह इस न्यायालय द्वारा इंगित तात्कालिकता को देखते हुए आदेश पारित करे। इन तथ्यों में

और परिस्थितियों में, सुनवाई के उचित अवसर का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

रवि एस नाइक मामले (ऊपर) में निर्णय के आलोक में देखा गया। इस संबंध में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि नोटिस भेजे गए थे उनके ईमेल और उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उनके स्थायी पते पर। अद्वितीय तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

144. यह पूरी तरह से एक अलग मामला है कि उपरोक्त

याचिकाकर्ता मुंबई में थे, भले ही उन्हें नोटिस के बारे में पता था, और उनमें से कुछ ने अध्यक्ष के सामने अपना प्रतिनिधित्व करने की जहमत भी नहीं उठाई। इस संदर्भ में हम यह नहीं कह सकते कि प्रभावी अवसर नहीं था।

याचिकाकर्ताओं को दिया गया। नतीजतन, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं। 1003 2019 का

आई. एन. सी. के साथ विलय नहीं हुआ था और इसके परिणामस्वरूप आई. एन. सी. 11.07.2019 द्वारा जारी व्हिप याचिकाकर्ता के लिए बाध्यकारी नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कोई अयोग्यता नहीं हुई थी।

146. हालाँकि, याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि उसने अध्यक्ष को 14.06.2019 दिनांकित एक पत्र संबोधित किया था कि वह एकमात्र विधायक था

केपीजेपी के टिकट पर चुने गए और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करने पर सहमति व्यक्त की थी

आईएनसी के साथ। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 4 (2) पर भरोसा किया था

दसवीं अनुसूची में कहा गया है कि चूंकि वह अपनी पार्टी का एकमात्र निर्वाचित सदस्य है, इसलिए दसवीं अनुसूची के तहत विलय माना जाता है।

आगे कहा गया है कि ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था। 148. दूसरी ओर, अध्यक्ष द्वारा पारित विवादित आदेश, अध्यक्ष के दिनांक 1 के पत्र को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 (2) के संदर्भ में, यदि पार्टी के दो तिहाई सदस्य किसी अन्य पक्ष के साथ विलय करने का निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व किया था कि वह केपीजेपी के एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे और

आई. एन. सी. के साथ विलय करने का निर्णय लिया था, उचित कदम उठाए गए थे। इस पृष्ठभूमि में, 25.06.2019 के प्रभाव से, याचिकाकर्ता को कांग्रेस विधायक दल का सदस्य माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने इस पत्र पर विवाद किया है और कहा है कि यह पत्र उन्हें संबोधित नहीं था, बल्कि कांग्रेस विधायक दल के नेता और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को संबोधित था। 25.06.2019 दिनांकित पत्र अध्यक्ष की फाइल पर उपलब्ध है। 149. याचिकाकर्ता के तर्क को अन्य परिस्थितियों में महत्व दिया जा सकता है, लेकिन हम पाते हैं कि यह एक स्वीकृत और स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता, दिनांकित 14.06.2019 देने के बाद, उस समय सत्ता में सरकार में मंत्री भी बन गया था। विशेष रूप से,

याचिकाकर्ता दिनांकित 14.06.2019 पत्र और इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि श्रीमान्थ बालासाहेब पाटिल v.

माननीय वक्ता, कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेम्बली [एन. वी. रमना, जे.]

आगे अभिलिखित करता है कि अध्यक्ष द्वारा कर्नाटक विधान सभा के सचिव को एक निर्देश जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता को कांग्रेस के सदस्य के रूप में माना जाए और उसे कर्नाटक विधान सभा में एक सीट आवंटित की जाए। आगामी सत्र। इसके अलावा, 08.07.2019 पर, याचिकाकर्ता ने संबोधित किया था

तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक पत्र जिसमें उनका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के अनुरोध के साथ मंत्रिपरिषद से उनका त्यागपत्र दिया गया था, जिसका वे हिस्सा थे। यह इस्तीफा राज्यपाल को भी व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। 12.07.2019 पर, याचिकाकर्ता ने सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया था और

अनुरोध किया कि उन्हें विपरीत बेंचों में फर्श पर एक सीट आवंटित की जाए। इन पहलुओं को विवादित आदेश में उजागर किया गया है, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि अध्यक्ष ने विलय के पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया, गलत और गलत है।

150. हम इसे रखने के लिए कोई कारण और अच्छा आधार नहीं पाते हैं।

आक्षेपित क्रम में निष्कर्ष विकृत हैं और बिना किसी सबूत के आधारित हैं। बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया रुख और निवेदन निरर्थक है। गुणों से। इसी तरह, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर आधारित याचिका उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विफल होनी चाहिए।

151. में विशिष्ट समय नहीं देने के आरोपों पर हमारे निष्कर्ष

उपरोक्त सभी मामले प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यक्ष सुनवाई की अवधि में कटौती कर सकते हैं। अध्यक्ष को अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने से पहले किसी सदस्य को पर्याप्त अवसर देना चाहिए और आम तौर पर विधानमंडल के नियमों में निर्धारित समय सीमा का पालन करना चाहिए।

के. निष्कर्ष

152. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, कानून का सारांश जैसा कि आयोजित किया गया है

यहाँ इस प्रकार है:

ए। अध्यक्ष, अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेते समय, एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण और इसकी वैधता के रूप में कार्य करता है।

इस प्रकार पारित आदेशों पर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है। हालांकि, आम तौर पर, अयोग्यता को चुनौती देने वाले पक्ष को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक है क्योंकि वही होगा

उचित, प्रभावी और त्वरित।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

द्वारा दिए गए इस्तीफे की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष की जांच का दायरा

विधायिका का सदस्य इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या ऐसा इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया था या वास्तव में दिया गया था। एक बार जब यह प्रदर्शित हो जाता है कि कोई सदस्य इच्छुक है अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस्तीफा दें, स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह संवैधानिक है

अध्यक्ष के लिए इस्तीफे पर विचार करते समय किसी भी बाहरी कारक को ध्यान में रखना अस्वीकार्य है। द.

अध्यक्ष की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

पद के प्रलोभन या इसी तरह के विचारों से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई जो खतरे में डालती है हमारे लोकतंत्र की नींव। 91 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 71 (1 बी), 164 (1 बी) और 361 बी को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि किसी सदस्य को संविधान द्वारा अयोग्य ठहराया जाए।

दलबदल के कारण अध्यक्ष को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है या अयोग्यता की तारीख से या उस तारीख तक कोई लाभकारी राजनीतिक पद नहीं रखता है जब तक कि उसका कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है या वह विधायिका के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो जाता है, जो भी पहले हो। अयोग्यता उस तारीख से संबंधित है जब अधिनियम

त्याग पत्र प्रस्तुत करना, जब सदस्य की नियुक्ति से पहले अयोग्यता के कार्य (ओं) उत्पन्न हो गए हों। त्याग पत्र।

किहोतो की पिछली संविधान पीठ के फैसले में ओलोहन (ऊपर), दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष का आदेश चार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है।

आधारः दुर्भावनापूर्ण, विकृति, टी. एच. बालासाहेब याचिका का उल्लंघन।

माननीय वक्ता, एक विधायी सदस्य [एन. वी. रमना, जे.]

संवैधानिक जनादेश और आदेश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए।

उपरोक्त सभी मामलों में विशिष्ट समय नहीं देने के आरोपों पर हमारे निष्कर्ष मामले के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हैं। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि अध्यक्ष सुनवाई की अवधि में कटौती कर सकते हैं। अध्यक्ष को अयोग्यता का निर्णय लेने से पहले किसी सदस्य को पर्याप्त अवसर देना चाहिए। कार्यवाही करना और आम तौर पर विधानमंडल के नियमों में निर्धारित समय सीमा का पालन करना।

मौजूदा संवैधानिक जनादेश के आलोक में,

मंत्री के रूप में नियुक्त या अयोग्यता की तारीख से किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रहने से लेकर उस तारीख तक जब तक कि उनका पद का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता या यदि वह विधायिका के लिए फिर से चुने जाते हैं, जो भी पहले हो। अध्यक्ष द्वारा तटस्थ रहने के संवैधानिक कर्तव्य के खिलाफ कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दलबदल से जुड़े आगे के हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्ट प्रथाएं

और पद के लालच या गलत कारणों से वफादारी में परिवर्तन कम नहीं हुआ है। इस प्रकार नागरिकों को स्थिर सरकारों से वंचित कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में, कुछ पहलुओं को मजबूत करने पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रथाओं को हतोत्साहित और नियंत्रित किया जा सके।

कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व मामले में शामिल दांव पर नहीं पड़ता है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि "कानून के प्रश्न" का अंतिम निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अंतिम परिणाम पर निर्णायक प्रभाव डालने वाले प्रश्न पहले ही एक निर्णायक प्राधिकारी द्वारा तय किए जा चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों को "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद नहीं है, जिसके लिए एक बड़े मामले के संदर्भ की आवश्यकता है। बेंच।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम निम्नलिखित को पारित करते हैं

अयोग्यता याचिका संख्या में अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 25.07.2019 और 28.07.2019 के आदेश। 1 , 3 , 4 , 5 , 7 और 2019 के 8 को अयोग्यता की सीमा तक बरकरार रखा गया है।

उसमें याचिकाकर्ताओं की।

हालाँकि, अध्यक्ष के आदेशों का हिस्सा विवरण देता है

अयोग्यता की अवधि, अर्थात। , संबंधित आदेश की तारीख से 15 तारीख की अवधि की समाप्ति तक

कर्नाटक विधान सभा, तदनुसार निर्धारित की गई है एक तरफ।

ई-रिट याचिकाओं का निपटारा पूर्व-वर्णित शर्तों में किया जाता है।

शिकायतों का भी तदनुसार निपटान किया जाता है।

लिखित याचिकाओं का निपटारा किया गया।